गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

कार्य का नाम:– खोराबार योजना में भू–खण्ड संख्या 08 पर प्रस्तावित खोराबार-ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग भवनों का निर्माण का कार्य।

ग्राम :– खोराबार उर्फ सूवा बाजार तहसील–सदर जिला– गोरखपुर।

भूमि का विवरण

अराजी संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
920	1580
921	1580
923	1580
924 मि0	290
925	530
926	760
927	1580
928	960
931 मि0	670
933	1170
934	1290
935	1170
936	1940
937	1940
932	280
938 मि0	960.29
कुल योग	18280.29 वर्ग मी0

ओ0 पी0 तिवारी
सर्वेयर
गो0 वि0 प्रा0

तहसीलदार (से0 नि0)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - शेखवार उर्फ सूता बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एबी विज्ञप्ति की तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्ति की तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा प्राप्ति की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री एन० के० राय, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हेक्टेयर में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - अ० - अमीन
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार कर्मा सूता बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री अवधेश कुमार राय, भू० अ०, कार्यालय।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - सहा० अभियन्ता
दिनांक - 29-12-06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - भू० अ०, कार्यालय
दिनांक - 29-12-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
29/12
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - रेवतीपुर उर्फ खुदा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2006
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री अवधेश कुमार राय, भू० अ० अधि०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - डॉ० वी० नारायण
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 29-12-06

प्रति हस्ताक्षरित
29/12
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - भू० अ०, अधि०
दिनांक - 29-12-06

29.12.06
प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - रोनवार उर्फ सूबा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि -- 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री कवलेश कुमार राम / भू० अ०, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है० में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - गो० वी० नारायण
पद नाम - सहा० अभियन्ता
दिनांक - 29-12-06

प्रति हस्ताक्षरित

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - कवलेश कुमार राम
पद नाम - भू० अ०, अमीन
दिनांक - 29-12-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

(12) A

553

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार एवं [illegible]
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री अवधेश कुमार राय

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - ओ० पी० नारायण
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 29.12.06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - सु० अ०, अर्जन
दिनांक - 29-12-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
29/12
गोरखपुर विकास प्राधिकरण

554

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार उर्फ खुबा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा०, गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3/एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3/डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2006
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री र० के० राय, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री ·सि ·पाण्डेय
पद नाम - अप्र/आर्मी
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - र० अ० अमीन
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

सचिव
विकास प्राधिकरण गोरखपुर

(34) 555

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार उर्फ खुता बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3/एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3/डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री र० के० राय, अमी०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे० में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - डी. एन. पांडेय
पद नाम - उपजिलाधिकारी
दिनांक - 03/9/06

अवधेश कुमार राय
कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - अ० अ० अमीन
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

विकास प्राधिकरण गोरखपुर

556

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार उर्फ बुढ़ा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा०, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री रा० के० राय, अमी०।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - डी. एन. पाण्डेय
पद नाम - सहा० अभि०
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - भवनेश कुमार राय
पद नाम - भू० अ० अमीन
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
3/9/06
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखपुर

(5) 557

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराबार उर्फ बुढ़ा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो०वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा कावासीन कालोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एफी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3/डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री र० के० राय, क्लीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - डी. सिंह यादव
पद नाम - अवर अभि०
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - मुख्य अभियंता
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित,
3/9/06
सचिव
विकास प्राधिकरण गोरखपुर

(6) 558

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. ग्रामसभा ग्राम का नाम - रेतीयार उर्फ सूबा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3/एफी विज्ञप्ति की तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3/डी की विज्ञप्ति की तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री ए० के० राय, अमी०।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
	विवरण पीछे अंकित है।		

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - ले० वि० प्राधिकरण
पद नाम - अधिशासी
दिनांक - 03/9/06

अवधेश कुमार राय
कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अवधेश कुमार राय
पद नाम - भू अ० अधीन०
दिनांक - 3-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
3/9/06
सचिव
विकास प्राधिकरण गोरखपुर

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

—: अभिनिर्णय :—

1—	वाद सं0—	1372 / 2002
2—	ग्राम,तप्पा,परगना,तहसील व जिला—	खोराबार उर्फ सूबाबाजार, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3—	अर्जन निकाय का नाम—	सचिव,गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर।
4—	अध्याप्ति का प्रयोजन—	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अर्जन।
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे0	32.358है0
5.ए—	स्थगन आदेश से प्रभावित क्षे0—	01.062है0 ✓
5.बी—	करार नियमावली के अन्तर्गत क्षेत्रफल—	10.19896है0
5.सी—	अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत क्षेत्रफल—	20.64204है0
6—	क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है?	हां
7—	क्या धारा—17(1)लागू है ?	हां
8—	धारा—4(1) / 17 की अधिसूचना की संख्या / तिथि	संख्या—355 / 9—आ—3—2003—09एल0ए0—2003 लखनऊ 22नवम्बर, 2003
	प्रकाशनः—	
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 22.11.2003
	(ख) दैनिक गोरखपुर मेल	दिनांक 16.12.2003
	(ग) राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 16.12.2003
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 31.12.2003
9—	धारा—6 (1) / 17 की अधिसूचना की संख्या / तिथि	संख्या—48523आ / 8—3—2003—09एल0ए0—03 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2004
	प्रकाशनः—	
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 27.12.2004
	(ख) स्वतंत्र चेतना	दिनांक 30.12.2004
	(ग) राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 30.12.2004
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 30.12.2004
10—	अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक—	03.09.06 व 29.12.06
11—	अभिनिर्णय का दिनांक—	12.07.2010
12—	निर्धारित प्रतिकर—	

क. भूमि का प्रतिकर (करार नियमावली—1997)	मु0— 2,85,57,088.00
ख. भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0— 3,23,05,291.93
ग.सम्पति का प्रतिकर	शून्य
घ.30%सोलिशियम	मु0— 96,91,587.58
ङ.12%अतिरिक्त प्रतिकर	मु0— 1,07,88,739.10
योगः—	मु0 08,13,42,706.61

13	भूमि अध्याप्ति व्यय	मु0 91,34,271.00 रूपये
14—	ब्याज की धनराशि—	नियमानसुर देय है।
15—	पूंजीकृत मूल्य—	1,29,819.00 रूपया

Bhoiles

–: अभिनिर्णय का औचित्य :–

सचिव,गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 32.358हे0 भूमि ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोंपरांत अपने आदेश सं0–355/9–आ–3–2003–09 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.2003 व दो स्थानीय समाचार पत्र **गोरखपुर मेल व राष्ट्रीय सहारा** में दिनांक 16.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 31.12.03 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 31.12.03 को निर्धारित किया गया।

धारा–6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0–4852/8–आ–2003–09एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 27.12.04 व दो समाचार पत्र **"स्वतंत्र चेतना"** एवं **"राष्ट्रीय सहारा"** में दिनांक 30.12.04 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 30.12.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा–6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 30.12.04 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। तत्पश्चात धारा–9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 26.04.05 व 27.04.05 नियत करके आपत्ति की सुनवायी की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु0 13,13,628.90 प्रति हे0 के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर का भुगतान/आफर करते हुए भूमि का अधिकार निम्न तिथियों में अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:–

कब्जा हास्तान्तरण का दिनांक	हस्तान्तरित क्षे. (हे0 में)
03.09.06	22.071हे0
29.12.06	8.770हे0
योग:–	30.841हे0

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबद में रिट याचिका दाखिल की गयी है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित 1.062हे0 के अधिकार हस्तान्तरण

Bhabab

की कार्यवाही नहीं की गयी है, और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका/सि0मि0रिट पिटिशन का विवरण निम्नवत है :-

क्रमांक	वाद संख्या/रिट याचिका सं0/वि0 अनुज्ञा सं0	न्यायालय का नाम	वादी/प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं0/ क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
1	7664/2007	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	राजन प्रसाद बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	949/0.118हे0 में से 0.085हे0
2	1737/2007	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	आरती राय व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	872/0.016हे0 847/0.048हे0
3	131512/2007	उपरोक्त	प्रभावती राय व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	803मि0/0.081हे0 804मि0/0.081हे0
			सम्पूर्ण योगः-	0.351हे0

रिट याचिका सं0 61387/2005 संतोष कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.09.05 को निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में तथ्य को छिपाकर याची द्वारा आदेश प्राप्त किया गया था। इसलिए उक्त निर्णय के सम्बंध में पुनः उ0प्र0 सरकार की ओर से रिव्यू/रिकाल प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.06 को दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसलिए अधिकार हस्तान्तरण/अभिनिर्णय की कार्यवाही रिट याचिका में सम्मिलित आ0 सं0 936 रकबा 0.194हे0, 937 रकबा 0.194हे0 व 954 रकबा 0.363हे0 भूमि पर नहीं की गयी है।

धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि को श्री मुराली पुत्र लौहर प्रसाद, श्रीमती अतवारी देवी पत्नी श्री लालजी, सुन्दर लाल वर्मा, दिनेश चन्द्र, रविश चन्द्र, रत्नेस चन्द्र पुत्रगण पडोही, लाल राजनरायन पुत्र हीरा, कुमारी सत्यभामा, सूर्यप्रकाश, वेद प्रकाश पुत्रगण कृष्ण, मुरारी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, विपिन विहारी शुक्ला, फुलमती देवी, प्रतिभा त्रिपाठी, रमाशंकर पाण्डेय, विमला पाठक, अनिल कुमार मिश्र पुत्र हृदय शंकर मिश्र, संतोष कुमार मिश्रा पुत्र राज किशोर मिश्रा, प्रेम शकर, रामधारी, श्रीराम, राजबंशी, गुलाब चन्द्र वर्मा, ज्वाला, श्रीमती मेवाती, कौशल्या देवी, जवाहीर, हन्सा यादव, रामसकल, गेनिया, हरीलाल, जयश्री, चित्रकुट आदि रामदुलारे आदि, रामलखन, बलराम शर्मा, शुशीला यादव व उर्मिला पाण्डेय, श्रीमती रिरताजी, श्रीमती तिरथी, सीमा जयसवाल, कुसुम दुबे, अवध नरायन, जगत नरायन, निर्मला देवी, हरीलाल, फागु राम, विश्वनाथ, शेषनाथ, रामेश्वर मिश्र, छेदी, शम्भु प्रसाद मिश्र, अवधेश कुमार, मीना सिंह, प्रभुनाथ यादव, राजमन आदि रामचन्द, ललई चौधरी, महाराजा, विजली पासी, रामरूप, शिक्षा निकेतन खोराबार के प्रबंधक सत्यनरायन प्रसाद आदि, रामाश्रय, मोलई व सुराती देवी, लाल बिहारी, नाशपाती देवी, राम बेलास, राम दौड, छेदी लाल, मुन्नी लाल, जोखू आदि, पूनम सिंह, धूरपतरी, मोहन लाल, भगवत कुमार, रामकवल, गोलई आदि, बाबू लाल, राम प्रसाद आदि, श्रीमती कवलपाती देवी व श्रीमती गंगरावती देवी, अमर नाथ, राजकुमार, सुभाष चन्द, राजेश कुमार, राम नरेश, शिवनाथ, रामनेवास, शम्भू, सदल, तुफानी आदि ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बंधित भूमि एवं मकान आदि का अधिग्रहण औचित्य पूर्ण विधि सम्मत न होने के कारण मानवीय तथा सदाशयता पूर्ण दृष्टि से अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त करने की कृपा की जाय। उल्लिखित प्रस्ताव में धारा-17 लागू है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के संरक्षण के अन्तर्गत स्थित है। इसलिए नियमानुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इनके प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाता है।

श्रीमती लीलावती देवी, श्री राजेश कुमार शर्मा, श्रीमती विमलेश कुमार त्रिपाठी, श्री रामेश्वर, श्री रवि कुमार सिंह, श्रीमती नन्दरानी मिश्रा, शम्भू मिश्रा, श्रीमती मेवाती देवी, ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भूमि का बैनामा लिया गया है और खतौनी में अमलदरामद भी हो गया है। अभी तक विक्रेतागण का नाम अंकित है, जबकि प्रार्थीगणों द्वारा बैनामा लिया गया है। पूर्वाधिकारी द्वारा बैनामों के आधार पर नाम दुरस्त करने हेतु आदेश किया जा चुका है। उक्त आदेश के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है। प्रार्थीगणों के नाम प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। श्रीमती विमलावती देवी, श्रीमती गीता देवी, श्री अजय आनन्द द्विवेदी, श्री हरिवंश यादव, श्रीमती माया मिश्रा, हरिहर प्रसाद यादव, श्रीमती प्रेमशीला पत्नी निरन्जन, श्रीमती इन्दू राय, ने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का बैनामा लिया गया है। अभी तक हम प्रार्थीगणों का नाम अंकित नहीं किया गया है। साक्ष्य में बैनामें की छाया प्रति संलग्न किया गया है। प्रतिकर वितरण के समय इस सम्बंध में निर्णय पारित किया जायेगा।

श्री हरिहर प्रसाद यादव, श्रीमती माया मिश्रा पत्नी श्री दिवाकर मिश्रा, श्री संतोष मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आराजी नं0 559 में भूमि क्रय कर मकान का निर्माण कराकर प्रार्थीगणों द्वारा निवास किया जा रहा हैं। अधिग्रहण से प्रार्थीगण बेघर हो जायेंगे। इन प्रार्थना पत्रों की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया की प्रार्थीगणों का कथन सत्य हैं। जांच में यह भी पाया की सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जो संरेखण किया गया है। उसमें आराजी सं0 559 रकबा 0.135हे0 संरेखण से दूर है। इस आशय की आख्या जिलाधिकारी, महोदय को प्रस्तुत की गयी। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के वार्ता के अनुसार आराजी सं0 559 रकबा 0.135 हे0 भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया और सचिव विकास प्राधिकरण गोरखपुर से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–48 के अन्तर्गत विज्ञप्ति निरसन का प्रस्ताव पत्र सं0 606 दिनांक 21.02.06 पत्र सं0 730 दिनांक 13.04.06 पत्र सं0 1050 दिनांक 13.06.06 पत्र सं0 1312 दिनांक 24.07.06 व पत्र सं0 2090 दिनांक 15.11.06 द्वारा मांगी गयी। विकास प्राधिकरण गोरखपुर से विज्ञप्ति निरसन प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ और उल्लिखित नम्बरान में जारी विज्ञप्ति स्वतः कालबाधित हो गयी। इसलिए अर्जन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी।

श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव ने महामहीम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थिनी आराजी सं0 175 व 176मि0 रकबा 0.008हे0 अर्थात 0.02डि0 भूमि स्थित मौजा–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर का भूमि पर 2 कमरा बना कर पूरा परिवार रहने का उल्लेख किया गया यह भी उल्लेख किया गया कि प्रार्थिनी के पति श्री मिथलेश कुमार श्रीवास्तव टी.बी. के मरीज है, और प्रार्थिनी मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। प्रार्थिनी द्वारा यह बताया गया कि दो लडके एक लडकी श्वेता हैं, जो मानसिक रोग से ग्रस्त है, तथा एक लडका पवन कुमार बेरोजगार है। तथा दूसरा लडका पंकज कुमार विकलांग है। विकलांगता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त आधार पर उल्लिखित भूमि को अर्जन मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसकी जांच इस कार्यालय के अमीन द्वारा करायी गयी। जांच में पाया गया कि प्रार्थिनी द्वारा आराजी सं0 175मि0 रकबा 0.374हे0 व 176 मि0 रकबा 0.050हे0 में से 0.008हे0 भूमि क्रय की गयी है। जो प्रार्थिनी के नाम अभिलेख में अंकित है। प्रार्थिनी द्वारा अपने जमीन पर 25फीट × 11.6 फीट में सीमेन्ट शेड का निर्माण किया गया है। जिसकी दिवाल पक्के ईट व सीमेन्ट से बनाई गयी है। शेष बची हुई जमीन का उपभोग सहन के रूप में किया जा रहा है। प्रार्थिनी अपने परिवार सहित उक्त निर्माण में रह रही है। जिसकी जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी। उक्त जांच आख्या की पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गयी। तथा भूमि अर्जन

13/6/2017

से मुक्त किया जाना न्यायोचित बताया गया। सम्पूर्ण तथ्यों से जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 19.07.05 को अवगत कराते हुए आराजी सं0 847 रकबा 0.008हे0 भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी। जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 05.08.05 को प्रदान की गयी। इस कार्यालय के पत्र सं0 1053 दिनांक 13.06.06 द्वारा सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विज्ञप्ति निरसन प्रस्ताव की मांग की गयी। जिसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। उल्लिखित नम्बरान में जारी विज्ञप्तियां कालबाधित हो गयी। इसलिए आराजी सं0 847 रकबा 0.008हे0 में भूमि अर्जन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी और अधिकार भी हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

धारा–9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि को सम्बंधित कृषकों द्वारा अपनी भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के पूर्व ही कतिपय कृषकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद योजित किया जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि याची भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, आवास एव शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ प्रतिवादी सं0–01 के समक्ष प्रस्तुत करें।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया गया है, के अनुसरण में तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग–3 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, का विवरण निम्नवत् है –

क्र. सं.	याचिका सं0	पक्षकार का नाम	प्रभावित गाटा सं0 / क्षेत्रफल हे0	निर्णय का दिनांक	प्रमुख सचिव द्वारा प्रत्यावेदन का निस्तारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	36833 / 05	राजेश कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	831,832 / 2052.5 वर्गफुट	23.05.05	22.12.05	
2	65997 / 05	अनिल कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	839 / 1308 वर्गफुट	17.10.05	19.12.06	
3	38622 / 05	बृजेश प्रसाद व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार	839 / 4000वर्गफुट	17.10.05	15.12.06	
4	39173 / 05	लल्लन आदि बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	784 / 0.357हे0 785ख / 0.025हे0 780 / 0.286हे0	23.05.05	22.12.05	
5	7343 / 05	प्रभुनाथ यादव बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	880 / 0.704हे0	06.05.05	12.012.06	
6	42518 / 05	हरिवंश यादव बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	818 / 0.029हे0	25.05.05	–	
7	37112 / 05	श्रीमती शीला देवी यादव बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	814 / 0.028हे0 816 / 0.028हे	30.09.05	27.12.05	

8	63982 / 05	राम जनम सिंह बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	804 / 0.081हे0	23.09.05	15.12.06	
9	39573 / 05	रामचन्दर मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	840 / 2200वर्गफिट 803 / 0.081हे0 804 / 0.081हे0	23.05.05	15.12.06	
10	40864 / 05	श्रीमती नीलम गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	837 / 0.05डि0	23.05.05	14.08.05	
11	38466 / 05	श्री राम व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	941 / 0.024हे0 942 / 0.499हे0	23.05.05	22.12.05	
12	35162 / 05	भगवान सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	468 / 887 / 0.868हे 469 / 0.571हे0	23.05.05	26.12.06	
13	39274 / 05	आरती राय व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार	872 / 0.016हे0 847 / 5232वर्गफुट	23.05.05	22.12.05	
14	36622 / 05	बृजेश प्रसाद सिंह व अन्य आदि बनाम उ0प्र0सरकार	840 / 1500वर्गफुट	23.05.05	—	
15	39573 / 05	रामचन्दर मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार	838 / 800वर्गफुट 837 / 4360वर्गफुट 840 / 4360वर्गफुट 839 / 1744वर्गफुट	23.05.05	22.12.06	
16	40864 / 05	नीलम गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार	796 / 0.5½डि0	23.05.05	27.12.06	
17	71688 / 05	रामहरख बनाम उ0प्र0सरकार	961 / 0.103हे0	22.11.05	26.12.06	
18	71688 / 05	श्रीमती प्रतिमा तिवारी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	836 / 0.06डि0	22.11.05	22.12.06	
19	73899 / 05	श्रीमती द्रोपती देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	770 / 0.082हे0	05.12.05	26.12.06	
20	73899 / 05	ध्रुवपत्ती देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	847 / 2625वर्गफुट	05.12.05	15.12.06	
21	72740 / 05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	833 / 0.055हे0	28.11.05	22.12.06	
22	72740 / 05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	833 / 0.028हे0	28.11.05	22.12.06	
23	72740 / 05	श्रीमती निर्मला देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	833 / 0.024हे0	28.11.05	22.12.06	
24	72740 / 05	श्रीमती सविता देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	833 / 0.024हे0	28.11.05	26.12.06	
25	72740 / 05	अरूण व अन्य बनाम	833 / 0.008हे0	28.11.05	22.12.06	

		उ0प्र0सरकार व अन्य				
26	72740 / 05	श्रीमती चानमती देवी बनाम बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	833 / 0.06डि0	28.11.05	26.12.06	
27	72740 / 05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	833 / 0.016हे0 790 / 0.436हे0	28.11.05	22.12.05	
28	75024 / 05	लीलावती देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	837 / 2000वर्गफुट	19.12.05	22.12.06	
29	75022 / 05	रमाशंकर शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	836 / 0.12डि0	09.12.05	22.12.06	
30	74614 / 05	राज नरायन गुप्ता बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	842 / 0.03डिद्ध	07.12.05	26.12.06	
31	65997 / 05	अविनाश सिंह बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	839 / 0.23डि0	17.10.05	26.12.06	
32	71663 / 05	श्रीमती रेनू त्रिपाठी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	832 / 0.03डि0	22.11.05	26.12.06	
33	74497 / 05	सत्यभामा बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	834 / 0.033हे0	07.12.05	22.12.06	
34	61531 / 05	राजन प्रसाद बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	949 / 0.085हे0	16.09.05	15.12.06	
35	72740 / 05	मदन प्रसाद व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	867 / 0.10डिद्ध	28.11.05	26.12.06	
36	76558 / 05	श्रीमती किरन व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	960मि0 / 0.065हे0	16.12.05	26.12.06	
37	76558 / 05	अमरजीत सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	471 / 0.568हे0	16.12.05	26.12.05	
38	78642 / 05	मोहित व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	847 / 0.424हे0 798 / 0.596हे0 473 / 0.122हे0	02.01.06	26.12.06	
39	1495 / 06	श्रीमती सुशीला देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	770 / 8482वर्गफुट	10.01.06	26.12.06	
40	73623 / 05	श्रीमती कौशिल्या देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	844 / 0.06डि0	02.12.05	22.12.06	
41	2881 / 06	मोलई व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	827 / 0.359हे0	17.1.06	22.12.06	
42	2881 / 06	जगत नरायन व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	837 / 0.50डि0	17.01.06	22.12.06	
43	2881 / 06	जवाहिर व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	849 / 0.56डि0	17.01.06	22.12.06	
44	4478 / 06	छेदी व अन्य बनाम	883 / 0.735हे0	24.01.06	22.12.06	

Attested

		उ0प्र0सरकार व अन्य				
45	4478 / 06	छेदी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	867 / 0.093हे0	24.01.06	22.12.06	
46	4478 / 06	श्रीमती चन्द्रकला देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	867 / 0.081हे0	24.01.06	22.12.06	
47	4478 / 06	रामकेवल व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	946 / 0.164हे0	24.01.06	22.12.06	
48	78638 / 06	दिनेश चन्द्र आदि बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	976 / 0.147हे0 775 / 0.526हे0	02.01.06	26.12.06	
49	1498 / 06	दुर्गा प्रसाद आदि बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	796 / 0.800हे0 का 1 / 3भाग	19.12.06	—	
50	73623 / 05	कौशिल्या देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	849 / 4560वर्गफुट	02.12.05	—	
51	5936 / 06	समाश्रय चौरसिया व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	833 / 0.024हे0	31.01.06	26.12.06	
52	76361 / 05	श्रीमती कौलपति देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	606 / 2 / 0.06डि0	16.12.05	22.12.06	
53	906 / 06	सत्य प्रकाश मिश्रा बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	806 / 0.23डि0	06.01.06	26.12.06	
54	13126 / 06	श्रीमती मेवाती देवी व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	844 / 2450वर्गफुट 873 / 0.159हे0	03.03.06	15.12.06	

उपरोक्त सन्दर्भित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग–3, लखनऊ द्वारा याचिका कर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण विभिन्न तिथियों में किया गया है। जिसके अनुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त न करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, शासन द्वारा लिये गये निर्णय से मै सहमत हूँ। कुल 54 प्रत्यावेदनों में से 50 के निस्तारण की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, शेष चार प्रत्यावदेनों के निस्तारण की सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूँकि इन याचिकाओं के प्रत्यावेदनों में निहित भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश पारित नहीं है, तथा इनका कब्जा अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है। अतएव उक्त भूमि को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है।

–: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :–

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर का निर्धारण किये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 31.12.03 से एक वर्ष पूर्व की अवधि के मध्य निष्पादित विक्रय पत्रों का संकलन सब रजिस्टार कार्यालय, सदर, गोरखपुर से कराया गया। जिसमें कुल 147 विक्रय पत्र निष्पादित हुए हैं। जिनका विवरण अनुसूची–2 पर अंकित है।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अनुमानित 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर के निर्धारण हेतु ग्राम खोराबार उर्फ सूबाबाजार में उपयुक्त बैनामा न मिलने पर जं0 सिकरी उर्फ खोराबार में धारा–4(1) की तिथि से एक वर्ष पूर्व में निष्पादित हुए बैनामों में से चयन कर विक्रय पत्र सं0–18 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया गया। उक्त अवधि में कुल 129 विक्रय पत्र पाया गया है। उक्त बैनामें के आधार पर 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर की स्वीकृत जिलाधिकारी, महोदय से प्राप्त कर वितरण की कार्यवाही की गयी है।

शासनादेश सं0 1718/1-13-01-20(124)/01-रा0-13 दिनांक 29.09.01 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक क्रमशः दिनांक 15.11.08 व 16.11.08 को सम्पन्न हुआ। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1- अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार, के अनुसूची-2 में संकलित 147 विक्रय पत्रों में से क्रमांक-71 पर अंकित विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया गया। जिसके द्वारा दर प्रति हे0 15,65,024.19 रूपया एक समान दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया। जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 10.12.08 को प्रदान की गयी।

2- ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार की अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित भू-स्वामी करार के आधार पर प्रतिकर लेना चाहता है, तो करार निष्पादित होने की दशा में उस भू-स्वामी को भूमि का प्रतिकर दर एक मुश्त 28,00,000.00 रूपया प्रति हे0 निर्धारित किया जाता है। जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 10.12.08 को प्रदान की गयी है।

समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन, एवं करार के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है, से मैं सहमत हूँ।

-: सम्पत्ति का प्रतिकर :-

अधिग्रहीत की गयी भूमि व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के साथ भूमि के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही दिनांक 03.09.06 रकबा 22.071हे0, दिनांक 29.12.06 रकबा 8.770हे0 का किया गया। भूमि पर स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बंध में सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकारण, गोरखपुर ने अपने पत्र सं0 1053/तेरह-भू-अर्जन/ गो0वि0प्रा0/2007-08 दिनांक 08.02.08 द्वारा यह अवगत कराया गया कि " कब्जा हस्तान्तरण के समय पाये गये निर्माण जिलाधिकारी से बिना अनुमति प्राप्त किये और प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत करायें ही करायें गये है, ऐसे अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण में अवैध निर्माण वाद कायम करके कार्यवाही की जा रही है, साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि ऐसी परिस्थिति में उक्त निर्माण का मूल्यांकन कराने अथवा प्रतिकर भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।"

अतः सम्पत्ति के प्रतिकर निर्धारण के सम्बंध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.02.08 के कम में यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्ति के प्रतिकर का निर्धारण एवं वितरण नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण स्वतः सम्पत्ति की जांच करके नियमानुसार प्रतिकर के निर्धारण/ भुगतान की कार्यवाही करेंगा।

-: करार द्वारा प्रतिकर का निर्धारण :-

करार द्वारा प्रतिकर निर्धारण हेतु मु0 28,00,000.00 रूपया प्रति हे0 का दर निर्धारित किया गया। जिसके अनुसार गणना निम्नवत् है :-

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	करार से अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल	प्रतिकर	80 प्रतिशत	अवशेष देय प्रतिकर
1	2	3	4	5
03.09.06	8.45096	23,66,26,08.00	89,11,941.89	1,47,50,746.11
29.12.06	1.74800	48,94,400.00	18,53,793.29	30,40,606.71
सम्पूर्ण योगः-	10.19896	2,85,57,088.00	1,07,65,785.18	1,77,91,352.82

–: अनिवार्य अर्जन द्वारा प्रतिकर का निर्धारण :–

अनिवार्य अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु मु0 15,65,024.19 रू0 प्रति हे0 का दर का एक समान दर से निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार गणना निम्नवत् है:–

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलेशियम	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	योग
1	2	3	4	5	6
03.09.06	13.62004	2,13,15,692.07	63,94,707.62	68,39,709.19	3,45,50,108.88
29.12.06	7.02200	1,09,89,599.86	32,96,879.96	39,49,029.91	1,82,35,509.73
अनिवार्य से :–	**20.64204**	**3,23,05,291.93**	**96,91,587.58**	**1,07,88,739.10**	**5,27,85,618.61**
करार से :–	**10.19896**	**2,85,57,088.00**	–	–	**2,85,57,088.00**
पूर्ण योग:–	**30.841**	**6,08,62,379.93**	**96,91,587.58**	**1,07,88,739.10**	**8,13,42,706.61**

अतः उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार ग्राम–खोराबार उर्फ सुबाबाजार, तप्पा–हवेली, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में अधिग्रहित की गयी करार नियमावली–1997 के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि 28,00,000.00 रूपया प्रति हे0 की दर से मु0 2,85,57,088.00 रूपया रकबा **10.19896** हे0 के लिए व अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत एक समान दर 15,65,024.19 रूपया की दर से प्रभावित क्षेत्रफल **20.64204** हे0 का प्रतिकर मु0 **3,23,05,291.93** रूपया, 30 प्रतिशत सोलेशियम मु0 **96,91,587.58** रूपया व 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मु0 **1,07,88,739.10** रूपया कुल योग मु0 **5,27,85,618.61** रूपया तथा सम्पूर्ण योग मु0 **8,13,42,706.61** रूपया निर्धारित करता हूँ।

अध्याप्ति व्यय :– प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु0 **8,13,42,706.61** रू0 का 10 प्रतिशत की दर से मु0 81,34,270.66 पूर्णांक में मु0 81,34,271.00 रूपया अध्याप्ति व्यय के रूप में अध्याप्ति निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य :– अर्जित भूमि का भू–राजस्व रूपया 865.46 का 150 गुना रू0 1,29,819.00 राज्य सरकार के राजस्व खाते में क्षतिपूर्ति हेतु अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं राम अभिलाष, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) गोरखपुर ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला– गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 30.841हे0 भूमि (करार + अनिवार्य) का प्रतिकर 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर सहित मु0 **8,13,42,706.61** रूपये का अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व निर्धारित/वितरित 80% अनुमानित अग्रिम प्रतिकर को घटा कर 30% सोलेशियम जोड़कर नियमानुसार ब्याज का निर्धारण अभिनिर्णय/प्रतिकर वितरण की तिथि तक देय है। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करकें, सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भू अर्जन प्रपत्र–11 व अनुसूची–3 में अंकित है, जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान :– गोरखपुर।
दिनांक :– 12.07.2010

(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0)गोरखपुर।

परिशिष्ट–3

ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।
परियोजना का नामः– सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने हेतु।

क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (है.में)	कब्जा की तिथि	दर प्रति है0	प्रतिकर	30 प्रतिशत सौलेशियम	12 प्रतिशत अति0 प्रतिकर	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.62004	03.09.06	15,65,024.19	2,13,15,692.07	63,94,707.62	88,39,709.19	3,45,50,108.88	धारा–4(1) की अन्तिम तिथि 31.12.03 से अधिकार हस्तानान्तरण के दिनांक 03.09.06 तक 976 दिन का 12% वार्षिक की दर से कालम–5 की धनराशि पर अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है।
2	7.022	29.12.06	15,65,024.19	1,09,89,599.86	32,96,879.96	39,49,029.91	1,82,35,509.73	धारा–4(1) की अन्तिम तिथि 31.12.03 से अधिकार हस्तानान्तरण के दिनांक 29.12.06 तक 1093 दिन का 12% वार्षिक की दर से कालम–5 की धनराशि पर अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है।
योगः–	20.64204	–	–	3,23,05,291.93	96,91,587.58	1,07,88,739.10	5,27,85,618.61	
करार द्वारा	10.19696	–	–	2,85,57,088.00	–	–	2,85,57,088.00	
सम्पूर्ण योग–	30.841है0	–	–	6,08,62,379.93	96,91,587.58	1,07,88,739.10	8,13,42,706.61	

(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सि0स0) गोरखपुर।

A.K. Ra

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

पूरक अधिकार–पत्र

1–	राजस्व ग्राम :		खोराबार उर्फ सूबा बाजार।
2–	परगना, तहसील व जिला :		हवेली, सदर व गोरखपुर।
3–	अर्जन निकाय का नाम :		सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
4–	योजना का नाम :		गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु।
5–	धारा–4(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि	:	22.11.2003
6–	धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि	:	27.12.2004
7–	कब्जा परिवर्तन की तिथि :		23.12.2021
8–	कब्जा देने वाले का नाम :		श्री जनार्दन गुप्ता, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खाता सं0	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाली भूमि का क्षत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
1	2	3		4	5
1	खोराबार उर्फ सूबा बाजार	312	804	0.081	
		694	803	0.081	
	कुल योग :–			0.162	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम : अनुज कुमार शर्मा
पदनाम : अवर अभियन्ता
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित।

31/12/21

कब्जा देने वाले का हस्ताक्षर

नाम : जनार्दन गुप्ता
पदनाम : भू0अ0 अमीन
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

पूरक अभिनिर्णय

1	वाद सं0	1372ए/2012
2	ग्राम,तप्पा,परगना,तहसील व जिला	खोराबार उर्फ सूब,बाजार, हवेली, सदर, गोरखपुर
3	अर्जन का नाम	सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	32.358हे0
5ए.	स्थगन आदेश से प्रभावित	0.900हे0
5बी.	करार नियमावली के अन्तर्गत क्षेत्रफल	10.19896हे0
5सी.	अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत क्षेत्रफल	20.64204हे0
5डी.	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	0.162हे0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हाँ
7	क्या 17(1) लागू है	हाँ
8	धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की सं0/तिथि	सं0 355/9–आ–3–2003–09एल.ए.–2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003
	प्रकाशन :–	
	क– उ0प्र0असाधारण गजट	दिनांक 22.11.2003
	ख– दैनिक जागरण मेल	दिनांक 16.12.2003
	ग– राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 16.12.2003
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 31.12.2003
9	धारा–6(1)/17 की अधिसूचना की सं0/तिथि	सं0 4852आ/8–3–2003–09एल.ए.–2003 लखनऊ 27दिसम्बर, 2004
	प्रकाशन :–	
	क– उ0प्र0असाधारण गजट	दिनांक 27.12.2004
	ख– दैनिक जागरण मेल	दिनांक 30.12.2004
	ग– राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 30.12.2004
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 30.12.2004
10	अधिकार हस्तान्तरण	03.09.06 व 29.12.06
10ए.	अभिनिर्णय का दिनांक	12.07.2010
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	31.08.2012
12	प्रतिकर निर्धारण :–	
	क– भूमि का प्रतिकर (करार नि.– 1997)	मु0 ——
	ख– भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0– 2,53,533.92
	ग– सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 ——
	घ– 30% सोलेशियम	मु0 76,060.18
	ङ– 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0 9[illegible],188.86
	च– ब्याज की धनराशि	मु0 22,526.97
	सम्पूर्ण योग:–	4,43,309.93
13	भूमि अध्याप्ति व्यय	44,331.00
14	पूँजीकृत मूल्य	160.00

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 32.358हे0 भूमि ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरान्त शासन के आवासीय एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने आदेश सं0 355/9–आ–3–2003–09एल.ए.–2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003 को धारा–4 की अधिसूचना जारी की गयी, जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03 व दो दैनिक समाचार पत्र गोरखपुर मेल व राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 16.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 31.12.03 को करायी गयी। इस प्रकार धारा–4 की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 31.12.03 को निर्धारित किया गया।

धारा–6 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0 4852आ/8–3–2003–09एल.ए.–2003 लखनऊ 27दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया, जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 27.12.04 व दो दैनिक समाचार पत्र स्वतन्त्र चेतना व राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 30.12.04 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 30.12.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 6 के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 30.12.04 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख कराई गयी। तत्पश्चात धारा–9(1) व (3) की आपत्ति की सुनवाई हेतु दिनांक 26.04.05 व दिनांक 27.04.05 नियम करके आपत्ति की सुनवाई की गयी।

चूँकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु0 13,13,628.90 प्रति हे0 के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर का भुगतान/ऑफर करते हुए भूमि का अधिकार निम्न तिथियों में अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

कब्जा हस्तान्तरण का दिनांक	हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे0में)
03.09.2006	22.071हे0
29.12.2006	8.770हे0
योग:–	30.841हे0

अधिकार हस्तानान्तरित क्षेत्रफल के अतिरिक्त कतिपय भू–स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट योजित की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित 0.900हे0 भूमि के अधिकार हस्तानान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, में दाखिल याचिका/सि0मि0रिट पिटिशन का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	वाद सं0/रिट याचिका स0/वि0 अनुज्ञा सं0	न्यायालय का नाम	वादी प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं0
1	2	3	4	5
1	7664/2007	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	राजन प्रदास बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	949/0.118 में से 0.085हे0

2	1737 / 2007	"	आरती राय व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	872 / 0.016हे0 847 / 0.048हे0

श्रीमती प्रभावती राय पत्नी रामअवध व रामसूरत पुत्र शिवनन्द, निवासी–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.11 जिसमें भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–48(1) के अन्तर्गत शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए स्थगित कर दिया गया था, के अनुपालन में याचीगण द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए याची के प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.11 के आलोक में उभय पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 15.02.12 को प्रत्यावदेन बलहीन होने के कारण शासन द्वारा निरस्त करते हुए एतदद्वारा निस्तारित किया गया तथा याचीगण को नियमानुसार शासन द्वारा लिए गये निर्णयों से अवगत कराने के पश्चात अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण

शासनादेश सं0 1718 / 1–13–01–20(124) / 01–रा0–13दिनांक 29.09.2001 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक क्रमशः दिनांक 19.12.07 व 15.11.08 को सम्पन्न हुआ। समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन एवं करार के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है, से सहमत हूँ। याचीगण द्वारा करारके अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के गाटा सं0 803 रकबा 0.081हे0 व गाटा सं0 804 रकबा 0.081हे0 कुल रकबा 0.162हे0 भूमि के प्रतिकर की गणना नियमानुसार किया गया।

अधिसूचना धारा 4 का दिनांक	रकबा	दर प्रति है0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	योग	12% अति0 प्रतिकर कुल दिन 1094	80% प्रतिकर	अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है।	ब्याज 6% 30.12.06 से दि0 15.03.07तक 76दिन तथा 16.03.07 से दि0 12.07.11तक 1210 न्यायालय से लम्बित होने के कारण बीच की दिनों की गणना नहीं की गयी है। दि0 13.07.11 से 27.04.12 तक 288दिन कुल 365दिन	ब्याज 15% दि0 28.03.12 से अधिनिर्णय दि0 31.08.12 तक कुल 126दिन	कुल योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.11.06	0.162	15,65,024.19	2,53,533.92	76,060.18	3,29,594.10	91,169.89	1,70,245.30	1,59,347.80	14,341.30	8,185.67	4,43,309.93	

अतः ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला– गोरखपुर में गाटा सं0 803 / 0.081हे0 व 804 / 0.081हे0 कुल रकबा 0162हे0 भूमि का प्रतिकर मु04,43,309.93रू0 निर्धारित

किया गया। यह धनराशि पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 12.07.2010 में घोषित कुल प्रतिकर की धनराशि 8,13,42,706.61रू0 में जोड़कर पूर्ण योग 8,17,86,016.54 आता है। घोषित किया जाता है।

अध्यापि व्यय:– पूरक अभिनिर्णय की धनराशि मु04,43,309.93रू0 का 10 प्रतिशत भूमि अध्यापि व्यय के रूप में अध्यापि निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य :– पूरक अभिनिर्णय से प्रभावित क्षेत्रफल 0.162हे0 पर अर्जित भूमि के राजस्व का 4.01रू0 का 40 गुना मु0160.00रू0 राज्य सरकार के राजस्व खाते में पूँजीकृत मूल्य के रूप में वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मै ओम प्रकाश चौबे, विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सं0रां0) गोरखपुर ग्राम–खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 0.162हे0 भूमि का प्रतिकर 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर तथा ब्याज की धनराशि सहित कुल योग मु04,43,309.93रू0 का पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करके सम्बंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा। पूरक अभिनिर्णय धनराशि का पूर्व विवरण भू–अर्जन प्रपत्र–11 व अनुसूची–3 में अंकित है, जो अभिनिर्णय का अंग होगा। यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व घोषित अभिनिर्णय के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

दिनांक: 31-08-2012

स्थान: गोरखपुर।

(ओम प्रकाश चौबे)
विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी,
(सं0रां0) गोरखपुर

परिशिष्ट–3

राजस्व ग्राम–खोराबार उर्फ सूबा बाजार, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।

धारा–4(1) अन्तिम प्रकाशन दिनांक 31.12.03
कब्जा दिनांक 29.12.2006

दर प्रति है0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	योग	12% अति0 प्रतिकर कुल दिन 1094	80% प्रतिकर	अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है।	ब्याज 9% 30.12.06 से दि0 15.03.07 तक 76दिन तथा 16.03.07 से दि0 12.07.11 तक मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण बीच के दिनों की गणना नहीं की गयी है। दि0 13.07.11 से 27.04.12 तक 289दिन कुल 365दिन	ब्याज 15% दि0 28.03.12 से अभिनिर्णय दि0 31.08.12 तक कुल 125दिन	कुल योग	विवरण
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15,85,024.19	2,53,533.92	76,060.18	3,29,594.10	91,188.86	1,70,246.30	1,59,347.80	14,341.30	8,185.67	4,43,309.93	

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0)गोरखपुर।

न्यायालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) गोरखपुर

अभिनिर्णय

1.	वाद संख्या	:	137 / 2002
2.	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला का नाम	:	जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, हवेली, सदर, गोरखपुर।
3.	अध्याप्ति निकाय का नाम	:	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
4.	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अधिग्रहण।
5.	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:	38.458 हेक्टेयर
6.	अभिनिर्णय में निहित क्षेत्रफल	:	
	(क) अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत	:	31.4432167 हेक्टेयर
	(ख) करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत	:	2.3147833 हेक्टेयर
	योग–	:	**33.758 हेक्टेयर**
7.	अन्तर	:	4.700 हेक्टेयर
8.	अन्तर का कारण	:	अभिनिर्णय में वर्णित है।
9.	क्या भूमिअर्जन अधिनियम की धारा–17 के उपबन्ध लागू हैं	:	हाँ
10.	क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	:	हाँ
11.	धारा–4(1) / 17 की अधिसूचना की संख्या / तिथि	:	संख्या–2277 / 9–आ–3–2003–03एल0ए0 / 2003, लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2004
	प्रकाशन		
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	:	दिनांक – 09.01.2004
	(ख) दैनिक चेतना विचारधारा	:	दिनांक – 10.02.2004
	(ग) दैनिक राष्ट्र चिन्ह	:	दिनांक – 11.02.2004
	(घ) पब्लिक नोटिस / मुनादी	:	दिनांक – 10.06.2004
12.	धारा–6(1) / की अधिसूचना की संख्या / तिथि	:	संख्या–125 / 8–3–2005–03एल0ए0 / 2003 लखनऊ दिनांक 07.01.2005
	प्रकाशन		
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	:	दिनांक – 07.01.2005
	(ख) दैनिक स्वतंत्र चेतना	:	दिनांक – 11.01.2005
	(ग) दैनिक आज	:	दिनांक – 12.01.2005
	(घ) पब्लिक नोटिस / मुनादी	:	दिनांक – 28.01.2005

13	कब्जा हस्तांतरण की तिथि / क्षेत्रफल	दिनांक	क्षेत्रफल (हे0में)
		03.09.2006	19.458
		29.12.2006	0.180
		27.01.2007	14.018
		16.04.2007	0.102
		योग	33.758 हेक्टेयर
14	अभिनिर्णय का दिनांक	22.07.2010	
15	निर्धारित प्रतिकर		
	भूमि का प्रतिकर		
	(क) अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत	मु0	5,30,29,070.78
	(ख) 30 % सोलेशियम	मु0	1,59,08,721.23
	(ग) 12 % अतिरिक्त प्रतिकर	मु0	1,53,69,405.86
		योग मु0	8,43,07,197.87
	(घ) करार के अन्तर्गत	मु0	64,89,093.00
	(ङ.) परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	मु0	शून्य
		सम्पूर्ण योग मु0	9,07,96,290.87
			या
		मु0	9,07,96,291.00
16	भूमि अर्जन व्यय की धनराशि	मु0	90,79,629.00
17	12% अति0 प्रतिकर की धनराशि	धारा–4(1) के अंतिम प्रकाशन की तिथि से कब्जा हस्तांतरण की तिथि तक मूल प्रतिकर पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय है।	
18	ब्याज की धनराशि	नियमानुसार देय है।	
19	भू–राजस्व पूँजीकृत मूल्य की धनराशि	890.15x150 = 1,33,522.50 रूपये या 1,33,523.00 रूपये	

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, तप्पा व परगना हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में 38.458 हे0 भूमि स्थायी रूप से अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि उक्त भूमि की विभाग को तुरन्त आवश्यकता है, अतएवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत पूर्ण कर भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया जाय। विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की आवश्यक जॉच के उपरान्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु भूमि अध्याप्ति निदेशालय के माध्यम से उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा भूमि अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त धारा–4(1)/17 की अधिसूचना संख्या–2277/9–आ–3–2003–03–एल0ए0–2003 लखनऊ दिनांक 09.01.2004 निर्गत की गयी, जिसका प्रकाशन उ0प्र0 राजकीय असाधारण गजट के अंक दिनांक 09.01.2004 व दो दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक चेतना विचारधारा के अंक दिनांक 10.02.2004 व

विकसित करने में विभिन्न मदों में मु0 12,00,000.00 रूपये खर्च किया गया है। अतएव प्रस्तावित भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाय।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी समस्त /अधिग्रहित/ भूमि का एक मुश्त प्रतिकर करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही सम्पादित कर प्राप्त किया जा चुका है। अतएवं प्रार्थना पत्र तदनुसार निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती बिन्दु गुप्ता पत्नी शिवदयाल ग्राम/जंगल बेलवार, तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर, जिला–गोरखपुर द्वारा नियत तिथि के पश्चात् दिनांक 02.07.2005 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या– 405/01 रकबा 0.07 डि0 के चारोतरफ आबादी है अर्जन के फलस्वरूप प्रार्थिनी बेघर हो जायेगी, भूमि बाईपास के किनारे है बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, चिकित्सालय, अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, विकास कार्यालय, छड़ फैक्ट्री, गैस गोदाम, पाइप फैक्ट्री व अनेको औद्योगिक संस्थान स्थित है। भूमि की उपयोगिता आवासीय है तथा 50,00,000.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से जमीन विक्रेय हुआ है। अधिग्रहण हेतु निर्गत अधिसूचना निरस्त होने योग्य है। भूखण्ड अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किया जाय।

प्रतिकर की दर से के सम्बन्ध में प्रार्थिनी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 किया जा चुका है। जिसे अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता। अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण भूमि की उपयोगिता की दृष्टिगत किया जायेगा।

सर्वश्री रामनेवास, रामदरश, सोमई आदि द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या– 332/1 रकबा 0.17 डि0 भूमि की बावत चकबन्दी न्यायालय में वाद विचाराधीन है प्रतिकर का भुगतान वाद के निस्तारण तक किसी को न किया जाय।

अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप सम्बन्धित भू–स्वामी को किया जायेगा।

श्री शिव प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री शरदेन्दु कुमार पाण्डेय निवासी मलॉव भवन, मियॉबाजार शहर गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या– 281मी0 रकबा 1.10 एकड जिसके मालिक व भूमिधर श्रीमती रीता पत्नी राधेमोहन उर्फ राधेश्याम निवासी मोहल्ला मुंशी पुलिया इन्दिरा नगर लखनऊ थी, द्वारा कुल कीमत मु0 2,50,000.00 में मु0 2,40,000.00 प्राप्त करके रजिस्टर्ड मुआयदावय प्रार्थी के हक में दिनांक 23.08.2005 को निष्पादित किया गया है, जिसके मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जाय।

प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा वर्ष 2004 में निर्गत अधिसूचना द्वारा हो चुका है उसके उपरान्त अधिग्रहित भूमि का क्रय–विक्रय अवैधानिक है, तदनुसार प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामलखन द्वारा दिनांक 06.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी नम्बर 424 रकबा 0.006 तथा आराजी नम्बर 425 रकबा 0.417 हे0 के 1/2 भाग का बयनामा टासे पुत्र छोटक निवासी खोराबार उर्फ सूबाबाजार से अपने पक्ष में कराया है तथा काबिज दाखिल है भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिया जाय।

प्रश्नगत भूमि के प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार उपलब्ध साक्ष्य के सापेक्ष किया जायेगा। प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती आशा देवी द्वारा दिनांक 07.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या– 307 रकबा 2400 वर्गफीट में निवास करते हैं जिसे अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती पुष्पावती देवी पत्नी श्री रामप्रकाश तिवारी निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार द्वारा दिनांक 07.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गाटा संख्या–315 रकबा 0.05 डिसमिल की संक्रमणीय भूमिधर स्वामिनी हूँ जिसमें मकान, लिण्टर पक्का बनवाकर परिवार सहित रह रही हूँ इसके अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है, अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती शांति देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 14.10.2005 व 18.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या–317 रकबा 0.05 डि0 में मेरा पक्का मकान स्थित है। जिसमें परिवार सहित निवास कर रही हूँ। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती उषा देवी पत्नी रमाकान्त जायसवाल निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार जिला गोरखपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि आराजी संख्या–317/318 रकबा 2425 वर्गफुट भूमि गेंदा पुत्र रामनाथ से क्रय किया है जिसमें मकान बनवाकर परिवार सहित निवास कर रही हूँ। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती लालपरी देवी, श्रीमती निर्मला देवी व श्री टिसुरी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में धारा–4(1) के प्रकाशन के पूर्व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को बैनामे द्वारा क्रय किया गया है जिसमें रिहायशी मकान बना कर निवास कर रहे हैं जिसका अधिग्रहण विधि सम्मत नहीं है। भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्री कन्हई पुत्र धनुषधारी निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार द्वारा दिनांक 25.10.2006 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या– 383 मि0 रकबा 0.012 हे0 वर्ष 1977 में रामदौर पुत्र बनवारी से क्रय करके उसमें पक्का मकान बनवाकर निवास कर रहे हैं जिसे अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

चूँकि प्रश्नगत भूमि अर्जन प्रकरण में अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत पूर्ण की गयी है अतएवं नियमानुसार गोरखपुर से देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाई पास पर 100 फीट की गहराई तक मु0 19,70,443.35 रूपये व अवशेष भूमि हेतु 13,13,628.90 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अर्जन से प्रभावित कृषकों /भू–स्वामियों को 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर आफर, /भुगतान करते हुए अधिग्रहित भूमि का कब्जा निम्न प्रकार अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को हस्तगत किया गया है, विवरण निम्नवत है:–

कब्जा हस्तांतरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे0 में)
03.09.2006	19.458
29.12.2006	0.180
27.01.2007	14.018
16.04.2007	0.402
योग	33.758 हेक्टेयर

अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि में से कब्जे में हस्तगत भूमि के अतिरिक्त कतिपय भूमि स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की गयी जिनमें माननीय न्यायालयों द्वारा पारित स्थगनादेश से प्रभावित क्षेत्रफल 4.323 हे0 के कब्जे का हस्तांतरण अर्जन निकाय को नहीं किया गया है और न ही उक्त क्षेत्रफल को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं का विवरण निम्नवत है :–

माननीय उच्चतम न्यायालय

क्र0 सं0	विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या /पक्षकारों के नाम	स्थगन आदेश की तिथि	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
1.	18604/2005 श्रीमती बीना गुप्ता व अन्य बनाम सरकार	17.02.2006	283/2 1.094 हे0 284 0.085 हे0 योग 1.179 हे0	

माननीय उच्च न्यायालय

क्र0 सं0	याचिका संख्या / पक्षकारों के नाम	स्थगन आदेश की तिथि	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
1.	1655/07,श्रीमती उषा सिंह बनाम सरकार	12.01.2007	383/1 0.116 हे0 383/2 340/1 0.404 हे0 योग 0.520 हे0	
2.	32437/08 राजेन्द्र पुत्र फौजदार, श्रीमती सूर्यावती पत्नी राजेन्द्र बनाम सरकार	07.08.2008	268/2 0.261 हे0	

3.	63864 / 05 अश्विनी कुमार अग्रवाल बनाम सरकार	03.09.2005	348 / 1	0.188 हे0	
4.	5302 / 07 रामनरायन व अन्य बनाम सरकार	02.04.2007	334 334 / 2 योग	0.077हे0 0.012हे0 0.089हे0	
5.	5304 / 07 मेसर्स कुमार ड्रिंक्स बनाम सरकार	02.04.2007	296	0.288हे0	
6.	11467 / 08 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम सरकार	27.02.2008 02.07.2008	441 / 1 441 / 2	0.886हे0	
7. 8.	287 / 06 कृष्णानन्द मणि त्रिपाठी बनाम सरकार 17914 / 06 विरेन्द्र नाथ पाण्डेय बनाम सरकार	04.01.2006 31.03.2006	307	0.794हे0	खसरा सं0– 307 रकबा 0.834 हे0 में से 0.040 हे0 से सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है।
9.	37412 / 06 श्रीमती इसरावती व अन्य बनाम सरकार	18.07.2006	383 / 1 382 / 2 योग	0.012हे0 0.041हे0 0.053हे0	
10.	29755 / 06 रामनवल मिश्र बनाम सरकार	25.05.2006	352मी	0.065हे0	
	योग			3.144हे0	

स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल का सम्पूर्ण योग– 4.323 हे0

क्रमांक–6 पर अंकित सि0मि0रि0पि0सं0–11467 / 08 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व याचीगण द्वारा सि0मि0रि0पि0सं0 –25085 / 2005 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में योजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.05.2005 / 09.01.2007 / 12.02.2007 के अनुपालन में प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 17.06.2005 / 17.01.2007 योजित किया गया, जिसका निस्तारण शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2008 में किया गया। शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका में निहित भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को दिनांक 27.02.2008 में हस्तगत किया गया। तदोपरान्त याचीगण द्वारा पुनः उक्त याचिका संख्या–11467 / 08 लालबिहारी शर्मा आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व आदि प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2008 को याचीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.02.2008 के साथ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2008 द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगन आदेश को प्रभावी किया गया है। अतएवं माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिका में निहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण अभिनिर्णय में नहीं किया गया है।

धारा–9(1) 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि व उसके पश्चात् सम्बन्धित कृषकों द्वारा अपनी अधिग्रहित भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व ही कतिपय कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिकाएं योजित किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश पारित किया गया कि याची अधिग्रहित भूमि को भूमि

अर्जन अधिनियम की धारा–48 के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करें।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिकाओं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया गया है के अनुसरण में तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	याचिका संख्या	याचिकाकारों का नाम	प्रभावित गाटा संख्या / क्षेत्रफल हे0	निर्णय का दिनांक	प्रमुख सचिव द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	39586 / 05	श्री कल्याण नाथ यादव पुत्र श्री कोमल यादव	307, 308, 316 में से 2616 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
2		श्रीमती आशा देवी पत्नी सुरेन्द्र नाथ सिंह	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
3		श्रीमती पद्मावती देवी पत्नी फूलबदन दूबे	0.05 डि0	19.05.05	13.12.06
4		श्री जयप्रकाश तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
5		श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वीरबहादुर सिंह	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
6		श्री विजय कुमार सिंह पुत्र श्री वीरबहादुर सिंह	2870 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
7		श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी चन्द्रभूषण मालवीय	2616 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
8		श्री परमानन्द मिश्र पुत्र जगदेव मिश्र	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
9		श्री योगेन्द्र राय पुत्र काशीनाथ	2145 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
10		श्री अरूण कुमार राय पुत्र बांके राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
11		श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्रीकान्त मिश्र	0.16 डि0	19.05.05	13.12.06
12		श्री राजमंगल राय पुत्र नगीना राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
13		श्रीकान्त शाही पुत्र मोहन शाही	2145 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
14		श्री शेषनाथ सिंह पुत्र कमला सिंह	2800 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
15		श्री संजय कुमार राय पुत्र महंथ राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
16	65145 / 05	श्री शिव सेवक पुत्र रामदत्त	294 / 2, 0.410 हे0 294 / 2, 0.257 हे0 295 / 2 0.002 हे0	06.10.05	–
17		श्रीमती रामरती पत्नी मेवालाल	282 / 2 0.302 हे0 294 / 2 0.016 हे0	06.10.05	15.10.06
18	36623 / 05	श्री रामव्रत यादव पुत्र शिवदत्त	294 / 2 0.072 हे0	23.05.05	–

19	36623 / 05	श्री रामसेवक पुत्र रामजतन	294 / 1 294 / 2 295 / 2 0.683 हे0	23.05.05	—
20	38209 / 05	श्री रामदुलारे पुत्र रामराज	382मी0 0.099 हे0	23.05.05	—
21	38209 / 05	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी रामप्रसाद	383 / 3मी0 0.020 हे0	23.05.05	—
22		श्री दुर्विजय सिंह पुत्र हरिनरायन सिंह	382मी0 0.021 हे0	23.05.05	19.01.07
23	38209 / 05	श्रीमती बिन्दा गुप्ता पत्नी राधेश्याम	381 / 1 0.010 हे0 383 / 1मी0 0.018 हे0	23.05.05	—
24		श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामसमुझ शर्मा	382मी0 0.099 हे0	23.05.05	—
25	38500 / 05	श्री रामकवल पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय	352 0.086 हे0	23.05.05	19.01.07
26		श्रीमती रूमा देवी पत्नी विनोद त्रिपाठी		23.05.05	19.01.07
27		श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर त्रिपाठी		23.05.05	19.01.07
28		श्रीमती गीता देवी पत्नी मणिकान्त		23.05.05	19.01.07
29	36307 / 05	श्री छोटक उर्फ छोटकन पुत्र वीरन	354 0.266 हे0	23.05.05	—
30	39270 / 05	श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र बासदेव	279 0.062 हे0 280 / 1 0.010 हे0	23.05.05	23.01.07
31		श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह	280 / 2 0.474 हे0 0.546 हे0	23.05.05	23.01.07
32		श्री विपिन कुमार सिंह पुत्र अम्बिका सिंह	281 0.071 हे0 282 0.246 हे0 0.317 हे0	23.05.05	23.01.07
33		श्री देवेन्द्र नाथ राय पुत्र चन्द्रशेखर राय	312 0.703 हे0	23.05.05	23.01.07
34		श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह	282मी0 0.021 हे0 283 / 2 0.019 हे0	23.05.05	23.01.07
35		श्रीमती किरन पत्नी नागेन्द्र सिंह	294 0.007 हे0 0.046 हे0	23.05.05	23.01.07
36		श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी रवीन्द्र सिंह	281 0.010 हे0 282 0.066 हे0	23.05.05	23.01.07
37		श्री राजेश सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह	283 / 2 0.090 हे0 0.166 हे0	23.05.05	23.01.07
38		श्री संजय सिंह पुत्र कमला सिंह		23.05.05	23.01.07
39		श्री शैलेष कुमार त्रिपाठी व उमेश कुमार त्रिपाठी पुत्रगण देव त्रिपाठी		23.05.05	23.01.07
40		श्री राधेश्याम दूबे पुत्र लल्लन दूबे		23.05.05	23.01.07
41		श्री गौरीशंकर द्विवेदी पुत्र कमला द्विवेदी श्री विजय प्रताप सिंह		23.05.05	23.01.07
42		श्री जीतन पुत्र सुखदेव मौर्य		23.05.05	23.01.07
43		श्री रामकेवल पुत्र सुखदेव मौर्य		23.05.05	23.01.07

44	38212 / 05	श्री अभिराम तिवारी पुत्र पशुपति नाथ तिवारी	340 / 1 0.58डि0	23.05.05	–
45	59923 / 05	श्रीमती गीता देवी पत्नी रामउधार	352 0.020हे0	09.09.05	–
46	17150 / 05	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह	341 1.544 हे0 345 0.506 हे0	06.05.05	22.01.07
47		श्री महावेन्द्र सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह		06.05.05	22.01.07
48	36672 / 05	श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव पुत्र बासदेव लाल	307 2400 वर्गफुट	23.05.05	
49	40385 / 05	श्रीमती साधना लीलाड़िया व अन्य	379 मी0 0.010हे0 380 0.435हे0	23.05.05	
50	40385 / 05	श्रीमती साधना लिलेरिया पत्नी राजेश कुमार	380मी0 0.010 हे0 409 0.193 हे0	23.05.05	
51	59923 / 05	श्री सुभाष चन्द मिश्र पुत्र मुनेश्वर मिश्र	352मी0 0.06 डि0	09.09.05	–
52	70436 / 05	श्री रामसूरत मौर्य पुत्र जालन्धर मौर्य	295 मी0 0.065हे0	14.11.05	–
53	38210 / 05	श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र प्रेम कुमार	276मी0 0.030 हे0 279मी0 0.102 हे0	23.05.05	–
54	55269 / 05	श्री श्यामपाल शर्मा पुत्र बाबू राम शर्मा रामप्रकाश मौर्य पुत्र गनपति मौर्य	348 4080वर्गफुट	12.08.05	23.01.07
55	37292 / 05	श्री अवधेश पाण्डेय पुत्र कपिलदेव पाण्डेय	348 3052वर्गफुट	23.05.05	–
56	36831 / 05	श्री त्रिलोकी पुत्र रामउग्रह पाण्डेय	316 0.545 हे0	23.05.05	–
57	36831 / 05	श्री बुद्धू पुत्र धन्नी	316 0.06 डि0	23.05.05	
58	68804 / 05	श्रीमती पुष्पावती देवी पत्नी रामप्रसाद त्रिपाठी	315 0.05 डि0	28.10.05	–
59	68804 / 05	श्रीमती सरोज देवी पत्नी अक्षैबर चौधरी	315 2257 वर्गफुट	28.10.05	–
60		श्रीमती नैना देवी पत्नी बुन्नीलाल	315 2252 वर्गफुट	28.10.05	15.12.06
61		श्रीमती दुर्गावती पाल पत्नी जर्नादन पाल	315. 0.09 डि0	28.10.05	–
62		श्रीमती उषादेवी पत्नी रमाकान्त	317. 318. 2425वर्गफुट	28.10.05	–
63		श्री संतोष कुमार पुत्र रामदेव	318 0.05 डि0	28.10.05	–
64		श्रीमती मीरा देवी पत्नी सुभाष	318. 0.05 डि0	28.10.05	–
65		श्रीमती ज्ञानती देवी पत्नी राजेन्द	317 0.05 डि0	28.10.05	–
66		श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी विरेन्द शर्मा	317 0.006 हे0	28.10.05	–
67		श्री हरिशरण गुप्ता पुत्र सन्तू	318 0.10 डि0	28.10.05	–
68		श्री योगेश शर्मा	317. 318 0.10 डि0	28.10.05	–

69	72736 / 05	श्री माधव प्रसाद शर्मा आदि	356 0.017 हे0 257मि0 0.077 हे0 358मि0 0.085 " 359मि0 0.020 " 357मि0 0.101 " 350मि0 0.150 " 359मि0 0.161 " 360 0.032 " 361मि0 0.017 " 362मि0 0.016 " 366मि0 0.014 "	28.11.05	19.01.07
70	49386 / 05	श्रीमती चन्द्रमा पत्नी रामकेवल	335मी0 0.019 हे0	18.07.05	02.04.07
71	49386 / 05	श्री सुदर्शन	335,	18.07.05	
72	74062 / 05	श्रीमती कल्याणी पाण्डेय	307, 316 2400वर्गफुट	06.12.05	15.12.06
73	36827 / 05	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी जगदीश	405, 406 0.06 डि0 व 2½ कड़ी	23.05.05	23.01.07
74	71082 / 05	श्रीमती शशिकिरन सिंह पत्नी प्रेमचन्द	331 / 1 0.77 डि0	18.11.05	19.01.07
75	72737 / 05	श्रीमती अनोखा शर्मा पत्नी जयराम	382मि0 0.024 हे0	28.11.05	—
76	73898 / 05	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी ओम प्रकाश राजेन्द्र प्रसाद, योगेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रामबिलास	315 0.05½ डि0 315मि0 0.11 डि0	05.12.05	—
77	74585 / 05	श्रीमती फूलमती पत्नी राममिलन	315 0.040 डि0	07.12.05	—
78		श्री रामबदन पुत्र शिवपूजन प्रसाद	315 0.06 डि0	07.12.05	—
79	74585 / 05	श्री रामनयन, रामभवन पुत्रगण रामबली	315 0.06 डि0	07.12.05	—
80	73765 / 05	श्रीमती मधू दूबे पत्नी हरेश मणि दूबे	307 2800वर्गफुट	02.12.05	—
81		श्रीमती शीला पाण्डेय पत्नी भुवनेश्वर पाण्डेय	307 1333.75वर्गफुट	02.12.05	—
82	73765 / 05	श्री गुलाब चन्द पुत्र शिवपूजन	313 0.207 हे0 314 0.032 हे0 318मी0 0.002 हे0	02.12.05	—
83		श्री चन्द्रिका, रामचन्दर, मनेश पुत्रगण शिवपूजन	312 — 313 — 314 — 315 —	02.12.05	—
84	42509 / 05	श्री दिनेश्वर चौबे पुत्र रामनाथ चौबे	352 0.403 हे0	25.05.05	—
85	849 / 06	श्री रामकेवल पुत्र कन्हैया	428मि0 0.164 हे0	06.01.06	—
86		श्रीमती नीलम त्रिपाठी पत्नी प्रवीन कुमार त्रिपाठी	318मी0 0.028 हे0	06.01.06	—
87	849 / 06	श्रीमती अनुपम जायसवाल पत्नी रमाशंकर जायसवाल	350 0.180हे0	06.01.06	17.08.06

द्वारा स्थगन आदेश पारित न होने के कारण भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है। अतएवं उक्त प्रत्यावेदनों में निहित भूमि को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

श्री श्याम सुन्दर सराफ पुत्र श्री रामकिशुन सराफ व श्रीमती उमा सराफ पत्नी श्री श्यामसुन्दर सराफ द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि जिस पर नियमानुसार धारा–17 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर भूमि का कब्जा दिनांक 03.09.2006 को अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सि0मि0रि0पि0सं0– 5728/07 श्री श्याम सुन्दर सराफ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित कर खसरा संख्या–405 रकबा 0.15 डि0, 411 मि0 रकबा 3.00 एकड़ व 438 रकबा 0.045डि0 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2007 में यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्देश दिया गया। उसके उपरान्त याचीगण द्वारा दिनांक 28.03.2010 को अपनी उक्त अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही पूर्ण कर एक मुश्त प्रतिकर की धनराशि प्राप्त किया गया। जिससे उक्त याचिका का निस्तारण स्वतः ही हो गया।

राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4(1)/17 व 6(1)/17 की अधिसूचनाओं का प्रकाशन व कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही चकबन्दी आकार पत्र–23 में निहित पूराना खसरा संख्या/क्षेत्रफल के अनुसार पूर्ण किया गया है वर्तमान में उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण (धारा–52 का प्रकाशन) हो चुका है अतएवं नियमानुसार अर्जन सम्बन्धी अन्य अग्रिम कार्यवाही पूराने खसरा नम्बर /क्षेत्रफल के साथ नये खसरा नम्बर/क्षेत्रफल के अनुसार किया जा रहा है। पुराने खसरा नम्बर/क्षेत्रफल तथा नया खेसरा नम्बर/क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:–

आकार पत्र 23 के आधार पर अर्जन की कार्यवाही			आकार पत्र 41 के आधार पर विवरण				अर्जित क्षेत्रफल आकार पत्र 23 के आधार पर	अर्जित क्षेत्रफल आकार पत्र 41 के आधार पर	अन्तर
चक संख्या	पुराना गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	नया गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	नये गाटे में शामिल पुराना नम्बर	क्षेत्रफल (हे0में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	268/1	0.261	573	0.261	268/1	0.261	0.261	0.261	–
612	268/2	0.261	572	0.261	268/2	0.261	0.261	0.261	–
741	283/3	1.094	595	1.094	283/3	1.094	1.094	1.094	–
138	282मी0 283/2मी0 294/2मी0	0.003 0.034 0.015	607	0.069	282मी0 283/2मी0 294/2मी0	0.003 0.036 0.030	0.003 0.034 0.015	0.003 0.034 0.015	–
248 740	282मी0 283/2मी0 294मी0 281मी0 282 मी0 283/2मी0	0.021 0.019 0.007 0.010 0.066 0.090	610	0.264	281 282 283/2	0.010 0.087 0.167	0.010 0.087 0.109	0.010 0.087 0.109	294/ 0.007 नये नम्बर में शामिल नहीं है
432	282मी0 294/2मी0	0.302 0.016	614	0.318	282मी0 294/2मी0	0.302 0.016	0.302 0.016	0.302 0.016	–

726	281मी0 282मी	0.071 0.246	613	0.317	281मी0 282मी	0.071 0.246	0.071 0.246	0.071 0.246	—
186	280 / 1मी0	0.341	593	0.341	280 / 1मी0	0.341	0.341	0.341	—
562	279मी0 280 / 1 280 / 2मी0	0.062 0.010 0.474	591	0.546	279मी0 280 / 1 280 / 2मी0	0.062 0.010 0.474	0.062 0.010 0.474	0.062 0.010 0.474	—
689अ	280 / 1मी0	0.114	592	0.114	280 / 1मी0	0.114	0.114	0.114	—
479– I	279मी0	0.060	587	0.060	279मी0	0.060	0.060	0.060	—
479– II	334 / 2मी0 335 / 1मी0	0.073 0.009	727	0.082	334 / 2 333 / 1	0.072 0.010	0.073 0.009	0.072 —	गाटा संख्या 334 रकबा 0.001 नये नं0 में सम्मिलित नहीं है 0.009 गाटा संख्या– 333 / 1 नये नं0 में सम्मिलित नहीं है
478 / 1	279मी0	0.060	588	0.060	279मी0	0.060	0.060	0.060	—
478 / 2	334 / 2मी	0.082	726	0.082	334 / 2मी	0.082	0.082	0.082	—
650	276मी0	0.091	585	0.091	276 / 2मी0	0.091	0.091	0.091	—
720	276मी0, 279मी0	0.264 0.095	586	0.359	276मी0 279मी0	0.264 0.095	0.264 0.095	0.264 0.095	—
769	262 / 1मी0 276मी0	0.004 0.178	584	0.182	262 / 1मी0 276मी0	0.004 0.178	0.004 0.178	0.004 0.178	—
760	262 / 1मी0 275 / 2मी0	0.018 0.005	559ख	0.024	262 / 2 —	0.024 —	0.018 —	0.018 —	गाटा संख्या– 275 / 2 रकबा 0.006 नये नम्बर में सम्मिलित नहीं है।
667	262 / 1	0.012	582	0.012	262 / 2 275 / 2	0.009 0.003	0.009 —	0.009 —	गाटा संख्या 262 रकबा 0.003 नये नम्बर में सम्मिलित नहीं है
583अ–1	294 / 2मी0 295 / 2मी0	0.396 0.014	620	0.410	294 / 2मी0 295 / 2मी0	0.396 0.014	0.396 0.014	0.396 0.014	—
583अ–2	294 / 2	0.273	623	0.273	294 / 2	0.273	0.273	0.273	—
583ब–1	294 / 2मी0	0.410	619	0.410	294 / 2	0.410	0.410	0.410	—
583ब– II	294 / 2मी0 295मी0	0.257 0.002	622	0.259	294 / 2मी0 295मी0	0.257 0.002	0.257 0.002	0.257 0.002	—
341	295मी0	0.393	624	0.393	295मी0	0.393	0.393	0.393	—
342	276मी0 279मी0	0.030 0.102	589	0.132	276मी0 279मी0	0.030 0.102	0.030 0.102	0.030 0.102	—
424	296 / 7	0.288	625	0.288	296 / 7	0.288	0.288	0.288	—
583	294 / 1	0.057	618ज	0.354	294 / 1	0.354	0.057	0.057	—
376	284मी0	0.085	598क	0.099	284मी0	0.099	0.085	0.085	—
सीएस 11 / 12	170 168	0.053 0.016	351 349	0.063 0.016	170 168	0.063 0.016	0.053 0.016	0.053 0.016	—
सीएस 11 / 46	171 172मी	0.073 0.012	352 353ख	0.073 0.024	171 172मी	0.073 0.024	0.073 0.012	0.073 > 0.012	—
सीएस 11 / 43	156मी0	0.049	338	0.182	156मी0	0.182	0.049	0.049	—
सीएस 11 / 36	167मी0	0.008	348	0.028	167मी0	0.028	0.008	0.008	—
714अ	328 / 1मी0	0.242	711	0.242	328 / 1मी0	0.242	0.242	0.242	—
714ग	328 / 1मी0	0.238	712	0.238	328 / 1मी0	0.238	0.238	0.238	—
644	318 / 2 319	0.024 0.069	683	0.093	318 / 2 319	0.024 0.069	0.024 0.069	0.024 0.069	—
643	318मी0	0.300	681	0.300	318मी0	0.300	0.300	0.300	—
642	318मी0	0.299	682	0.299	318मी0	0.299	0.299	0.299	—

120	317मी0 318मी	0.039 0.260	680	0.299	317मी0 318मी0	0.059 0.240	0.039 0.260	0.039 0.240	गाटा सं0– 318 रकबा 0.020 एकड़ नये गाटे में शामिल नहीं है।
695	317मी0 318मी0	0.065 0.016	679	0.077	317मी0 318मी0	0.061 0.016	0.065 0.016	0.061 0.016	गाटा संख्या– 317 रकबा 0.004 एकड़ नये नम्बर में शामिल नहीं है।
727	317मी0	0.082	677	0.077	317मी0	0.077	0.082	0.077	गाटा सं0 317 रकबा 0.005 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
874	315मी0 316मी0	0.359 0.545	675 663	0.359 0.545	315मी0 316मी0	0.359 0.545	0.359 0.545	0.359 0.545	–
517	308मी0 307 / 2मी0 316मी0 307 / 2	0.006 0.833 0.044 0.001	662 660	0.883 0.020	308मी0 307 / 2मी0 316मी0 307 / 2 308मी0	0.006 0.833 0.044 0.010 0.010	0.006 0.833 0.044 0.001 –	0.006 0.833 0.044 0.001 –	–
617–1	315मी0 308मी0	0.008 0.365	666	0.373	315मी0 308मी0	0.008 0.365	0.008 0.365	0.008 0.365	–
617–2	409मी0 410मी0	0.069 0.503	836	0.572	409मी0 410मी0	0.069 0.503	0.069 0.503	0.069 0.503	–
752–1	409 / 1	0.381	831	0.381	409 / 1	0.381	0.381	0.381	–
752–2	311मी0 308मी0	0.100 0.014	667	0.276	311मी0 308मी0	0.262 0.014	0.100 0.014	0.100 0.014	–
392 / 1	308मी0 311मी0 314मी0 315मी0	0.014 0.099 0.008 0.004	669	0.125	308मी0 311मी0 314मी0 315मी0	0.014 0.099 0.008 0.004	0.014 0.099 0.008 0.004	0.014 0.099 0.008 0.004	–
392–2	380मी0 409मी0	0.010 0.193	833	0.203	380मी0 409मी0	0.010 0.193	0.010 0.193	0.010 0.193	–
335–11	318 / 1 320मी0 321 / 1	0.004 0.577 0.004	702	0.585	318 / 1 320मी0 321 / 1	0.004 0.577 0.004	0.004 0.577 0.004	0.004 0.577 0.004	–
98	321 / 1	0.595	703	0.595	321 / 1	0.595	0.595	0.595	–
238ब	312मी0	0.088	687	0.310	312मी0	0.310	0.088	0.088	–
238स	312 / 1मी0	0.077	691	0.077	312 / 1मी0	0.077	0.077	0.077	–
101	351	0.146	766	0.146	351	0.146	0.146	0.146	–
119	352मी	0.203	767	0.203	352मी0	0.203	0.203	0.203	–
800	352मी	0.203	768	0.203	352मी0	0.203	0.203	0.203	–
631	352मी0	0.403	769	0.403	352मी0	0.403	0.403	0.403	–
190–1	348 / 1	0.188	762	0.188	348 / 1	0.188	0.188	0.188	–
407–1	348 / 1	0.188	761	0.188	348 / 1	0.188	0.188	0.188	–
69	349मी0	0.389	763	0.389	349मी0	0.389	0.389	0.389	–
351	350मी0	0.474	764	0.474	350मी0	0.474	0.474	0.474	–
171	342 / 1	0.365	758	0.365	342 / 1	0.365	0.325	0.325	–
447	341 345 / 1मी0	0.030 0.546	753	0.576	341 345 / 1मी0	0.030 0.546	– 0.506	– 0.506	–
809	341मी0	1.674	749	1.674	341मी0	1.674	1.544	1.544	–
645	340 / 1मी0	0.421	747	0.421	340 / 1मी0	0.421	0.421	0.421	–
647	333मी0 340 / 1मी0	0.004 0.423	746	0.427	333मी0 340 / 1मी0	0.004 0.423	0.004 0.366	0.004 0.366	–
156	333 / 1	0.728	744	0.680	333 / 1	0.680	0.556	0.556	–
144	334 / 2 333 / 1मी0	0.076 0.010	724	0.086	334 / 2 335 / 1मी0	0.077 0.009	0.076 0.010	0.076 –	गाटा सं0 333 / 1 रकबा 0.010 एकड़ नये नम्बर में शामिल नहीं है।

446	334 / 2	0.077	730	0.077	334 / 2	0.077	0.077	0.077	—
2493I	334 / 2मी	0.031	732	0.031	334 / 2मी0	0.031	0.031	0.031	—
5323I	334 / 2मी0	0.011	731	0.011	334 / 2मी0	0.011	0.011	0.011	—
782	334 / 2मी0	0.009	733	0.009	334 / 2मी0	0.009	0.009	0.009	—
229	335 / 1मी0	0.088	721	0.088	335 / 1मी0	0.088	0.088	0.088	—
2993I	335 / 1मी0	0.019	722	0.019	335 / 1मी0	0.019	0.019	0.019	—
570	335 / 1	0.107	723	0.107	335 / 1	0.107	0.059	0.059	—
529	336 / 1मी0	0.016	720ख	0.016	336 / 1मी0	0.016	0.016	0.016	—
73	337 / 1	0.102	734	0.102	337 / 1	0.102	0.102	0.102	—
808	354मी0	0.262	773	0.268	354मी0	0.262	0.262	0.262	—
	355 / 1मी0	0.006			355 / 1मी0	0.006	0.006	0.006	
683	354मी0	0.266	772	0.266	354मी0	0.266	0.266	0.266	—
329	356मी0	0.135	787	0.155	356मी0	0.291	0.103	0.103	—
	358मी0	0.020			358मी0	0.020	0.020	0.020	
585	357मी0	0.101	788	0.690	3560मी0	0.017	0.017	0.017	—
	359मी0	0.150			357	0.178	0.178	0.178	
586	359मी.0	0.161			358मी0	0.085	0.085	0.085	
	360	0.032			359मी.0	0.331	0.331	0.331	
	361	0.017			360मी0	0.032	0.032	0.032	
	362मी0	0.016			361मी0	0.017	0.017	0.017	
	366मी0	0.014			362मी0	0.016	0.016	0.016	
121	356मी0	0.017			366मी0	0.014	0.014	0.014	
	357मी0	0.077			—	—	—	—	
	358मी0	0.085			—	—	—	—	
	359मी0	0.020			—	—	—	—	
44– II	379मी0	0.010	834	0.445	379मी0	0.010	0.010	0.010	—
	380मी0	0.435			380मी0	0.435	0.435	0.435	
526– I	378मी0	0.065	835	0.310	378मी0	0.065	0.065	0.065	—
	379	0.245			379	0.245	0.245	0.245	
526– II	426	0.049	912	0.138	426मी0	0.047	0.049	0.047	गाटा संख्या– 426 रकबा 0.002, गाटा सं0–427 रकबा 0.016, व गाटा संख्या– 428 रकबा 0.073 हे0 नये खाता में शामिल नहीं है।
	427मी0	0.016			428मी0	0.091	0.164	0.091	
	428मी0	0.164					0.016		
787	377मी0	0.040	838	0.788	377मी0	0.040	0.040	0.040	—
	378मी0	0.748			378मी0	0.748	0.748	0.748	
553– I	376 / 1	0.071	855	0.348	376 / 1	0.071	0.071	0.071	—
	377मी0	0.199			377मी0	0.199	0.199	0.199	
	411मी0	0.078			411मी0	0.078	0.078	0.078	
553– II	405 / 1मी0	0.188	876	0.188	405 / 1मी0	0.188	0.188	0.188	—
34	408 / 1	0.249	828	0.249	408 / 1	0.249	0.237	0.237	—
471	408 / 1	0.249	829	0.249	408 / 1	0.249	0.249	0.249	—
35	408 / 2	0.100	827	0.100	408 / 2	0.100	0.092	0.092	—
413	405 / 1मी0	0.331	874	0.332	405 / 1मी0	0.331	0.331	0.331	—
	406 / 3मी	0.001			406 / 3मी	0.001	0.001	0.001	
405	406 / 2	0.102	872	0.102	406 / 2	0.102	0.102	0.102	—
	406 / 3मी	0.019	873	0.019	406 / 3मी	0.019	0.019	0.019	
599	405 / 1	0.182	875क	0.122	405 / 1	0.122	0.122	0.122	—
			875ख	0.060	405 / 1	0.060	0.060	0.060	
62	411मी0	1.920	866	1.996	411मी0	1.920	2.005	1.920	गाटा सं0– 411 रकबा 0.085 हे0 नये खाता में शामिल नहीं है।
	412मी0	0.020			412मी0	0.020	0.020	0.020	
	414मी0	0.030			414मी0	0.030	0.030	0.030	
	438मी0	0.016			438मी0	0.016	0.016	0.016	
	439मी0	0.010			439मी0	0.010	0.010	0.010	

140	439	0.237	869	0.237	439	0.237	0.237	0.237	—
843	438मी0	0.182	867	0.182	438मी0	0.182	0.182	0.182	—
166	412मी0 414मी0	0.398 0.094	864	0.492	412मी0 413/2मी0 414मी0	0.398 0.001 0.093	0.398 — 0.093	0.398 — 0.093	गाटा - सं0- 413/2 मी0 रकबा 0.001 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
167	417मी0 416/2 418	0.338 0.024 0.006	861	0.368	417मी0 416/2 418	0.338 0.024 0.006	0.338 0.024 0.006	0.338 0.024 0.006	—
97	413/2 414	0.297 0.002	863	0.299	413/2 —	0.299	0.297	0.297	गाटा सं0- 414 रकबा 0.002 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
301	416/2मी0	0.057	860	0.057	416/2मी0	0.057	0.057	0.057	—
415	416/2मी0	0.056	859	0.056	416/2मी0	0.056	0.056	0.056	—
616	416/2मी0 418मी0	0.033 0.027	858	0.060	416/2मी0 418मी0	0.033 0.027	0.033 0.027	0.033 0.027	—
85 300 606	418मी0 418मी0 418मी0 436मी0	0.056 0.056 0.115 0.025	889 888 890	0.056 0.056 0.140	418मी0 418मी0 418मी0 436मी0	0.056 0.056 0.115 0.025	0.056 0.056 0.115 0.025	0.056 0.056 0.115 0.025	—
607	418मी0 436मी0	0.115 0.025	891	0.140	418मी0 436मी0	0.115 0.025	0.115 0.025	0.115 0.025	—
608	418मी0	0.056	887	0.056	418मी0	0.056	0.056	0.056	—
609	417मी0 436मी0	0.053 0.003	886	0.056	418मी0 436मी0	0.053 0.003	0.053 0.003	— 0.003	गाटा सं0- 417 रकबा 0.053 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
610	417मी0 436मी0	0.017 0.037	885	0.054	417मी0 436मी0	0.017 0.037	0.019 0.037	0.017 0.037	गाटा सं0- 417 रकबा 0.002 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
653/1	417/मी0 436मी0	0.030 0.160	884	0.190	417/मी0 436मी0	0.030 0.160	0.030 0.160	0.030 0.160	—
536	441/1 441/2	0.214 0.007	878	0.221	441/1 441/2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
537	441/1 441/2	0.214 0.007	879	0.221	441/1 441/2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
538	441/1 441/2	0.214 0.007	880	0.221	441/1 441/2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
847	441/1मी0 441/2मी0	0.214 0.009	881	0.223	441/1मी0 441/2मी0	0.214 0.009	0.214 0.009	0.214 0.009	—
168	418मी0 435मी0 436मी0	0.055 0.603 0.009	897	0.673	418मी0 435मी 436मी0 442मी0	0.045 0.614 0.005 0.009	0.055 0.603 0.009 —	0.045 0.603 0.005 —	गाटा सं0- 418 रकबा 0.010, गाटा सं0- 436 रकबा 0.004 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
49	434मी0 435मी0	0.032 0.009	894	0.041	418मी0 434मी0 435मी0	0.004 0.022 0.014	— — 0.032	— — 0.022	गाटा सं0- 434 रकबा 0.010 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
208	434मी0 435मी0	0.037 0.003	1133	0.097	495मी0 496मी0 497मी0	0.043 0.048 0.006	— — —	— — —	गाटा संख्या- 434 रकबा 0.037 एवं गाटा सं0-435 रकबा 0.003 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
708	424मी0 434मी0 435मी0	0.519 0.126 0.062	909 1134	0.519 0.048	421मी0 424मी0 495मी0	0.028 0.491 0.048	— 0.519 —	— 0.491 —	गाटा संख्या- 421 रकबा 0.028 व गाटा संख्या 424 व 434 रकबा 0.168 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।

702	434मी0	0.040	893	0.037	418मी0 434मी0	0.006 0.031	— 0.040	— 0.031	गाटा सं0 434 रकबा 0.009 है0 नये नम्बर मे शामिल नहीं है।
442	421मी0 423मी0 451मी0	0.057 0.454 0.070	903 908 —	0.108 0.454 —	421मी0 422मी0 423मी0 —	0.102 0.006 0.454 —	0.057 — 0.454 —	0.057 — 0.454 —	
14	422मी0	0.221	907	0.221	422मी0	0.221	0.221	0.221	—
397	422मी0	0.221	905	0.221	422मी0	0.221	0.221	0.221	—
583 – II	424मी0 425मी0	0.006 0.417	911	0.423	424मी0 425मी0	0.006 0.417	0.006 0.417	0.006 0.417	—
164	427मी0 428मी0	0.020 0.019	915	0.039	427मी0 428मी0	0.020 0.019	0.020 0.019	0.020 0.019	—
218	442 / 1 441मी0	0.385 0.008	898	0.382	442 / 1 441 / 1	0.346 0.036	0.254 0.008	0.254 0.008	—
568अ	411मी0 376 / 6	0.022 0.131	844	0.185	376 / 6	0.185	0.185	0.185	
568ब	411मी0 376 / 6	0.020 0.133	854	0.736	376 / 3 376 / 6	0.005 0.657	0.005 0.655	0.005 0.655	
568स	376 / 3 376 / 6	0.005 0.148			411मी0 412 / 2मी0	0.050 0.024	0.050 0.024	0.050 0.024	
568ग	411मी0 412मी0 376 / 6	0.008 0.010 0.135							
568घ	376 / 6 412मी0	0.145 0.008							
568ङ	336 / 6 412 / 2मी0	0.148 0.006							
7	383 / 1मी 383 / 2मी	0.010 0.018	803	0.028	383 / 1मी 383 / 2मी	0.010 0.018	0.010 0.018	0.010 0.018	—
396	383 / 2	0.028	805	0.028	383 / 2	0.028	0.028	0.028	—
419	383 / 1 383 / 2	0.020 0.096	812	0.116	383 / 1 383 / 2	0.020 0.096	0.020 0.096	0.020 0.096	—
473	383 / 1 383 / 2	0.012 0.041	813	0.053	383 / 1 383 / 2	0.012 0.041	0.012 0.041	0.012 0.041	—
346	388 / 1मी0	0.052	825	0.052	388 / 1मी0	0.052	0.052	0.052	—
266	383 / 2	0.028	804	0.028	383 / 2	0.028	0.028	0.028	—
82	388 / 1	0.138	824	0.138	388 / 1	0.138	0.065	0.065	—
6	383 / 3मी0 383 / 4मी0	0.012 0.024	815क 816	0.012 0.024	383 / 3मी0 383 / 4मी0	0.012 0.024	0.012 0.024	0.012 0.024	—
739	383 / 3मी0	0.020	815ख	0.020	383 / 3मी0	0.020	0.020	0.020	—
99अ	382मी0	0.059	822	0.059	382मी0	0.059	0.059	0.059	—
99ब	382मी0	0.099	823	0.099	382मी0	0.099	0.099	0.099	—
99स	382मी0	0.099	818	0.099	382मी0	0.099	0.075	0.075	—
99द	382मी0	0.099	819	0.099	382मी0	0.099	0.099	0.099	—
99य	382मी0	0.020	820	0.020	382मी0	0.020	0.020	0.020	—
99र	382मी0	0.020	821	0.020	382मी0	0.020	0.020	0.020	—
63	281मी0	0.616	612	0.619	281मी0	0.619	0.616	0.616	—
247	314मी0	0.060	700	0.060	321मी0 313 / 3मी0	0.011 0.049	0.060 —	— —	गाटा सं0– 314 रकबा 0.060 है0 नये नम्बर मे शामिल नहीं है।
582अ	314मी0	0.085	1578 / 869	0.085	411मी0	0.085	0.085	0.085	—

220	312मी0 313/3 314मी0	0.057 0.155 0.035	693 670	0.205 0.042	312मी0 313/3मी0 314मी0	0.057 0.148 0.042	0.057 0.155 0.035	0.057 0.148 0.035	गाटा संख्या 313/3मी0 रकबा 0.007 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
238अ	312/1	0.703	685	0.703	312/1	0.703	0.703	0.703	—
476	313/3 314 318मी0	0.224 0.012 0.004	672 697	0.039 0.202	314मी0 313/3 318/1मी	0.039 0.199 0.002	0.012 0.184 0.004	0.012 0.184 0.002	गाटा संख्या-318/1 रकबा 0.002 है0 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
108	313/3 318/2मी0	0.218 0.022	671	0.039	314 मी0 — 313	0.039 — 0.202	— — 0.218	— — 0.202	गाटा सं0-318/2 रकबा 0.022 से 313/3 रकबा 0.016 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
109	313/1	0.150	695	0.150	313/1	0.150	0.150	0.150	—
110	313/3 318मी0 321मी0	0.198 0.020 0.021	674 701	0.039 0.199	314मी0 313/3मी0 321/1मी0	0.039 0.189 0.010	— 0.198 0.021	— 0.189 0.010	गाटा संख्या- 318 रकबा 0.020, 313/3 रकबा 0.009, 321/1 रकबा 0.011 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
136	313/3 314/2	0.225 0.021	673 699	0.039 0.207	314मी0 313/3मी	0.039 0.207	0.021 0.225	0.021 0.207	गाटा सं0-303/3 रकबा 0.018 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
679-I	409/1मी0	0.203	832	0.174	409/1मी0	0.174	0.203	0.174	गाटा संख्या-409/1 रकबा 0.029 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
679-II	311मी 308मी0 315मी0	0.085 0.014 0.026	668	0.125	311मी0 308मी0 —	0.111 0.014 —	0.085 0.014 0.026	0.085 0.014 —	गाटा संख्या-315 रकबा 0.026 नये नम्बर में शामिल नहीं है।
371	438मी0	0.182	868	0.182	438मी0	0.182	0.182	0.182	

उपरोक्त के अनुसार क्षेत्रफल–0.641 है0 मतरूक पाया गया जिसके प्रतिकर का निर्धारण अभिनिर्णय में किया गया है, भुगतान उपलब्ध साक्ष्य के परिपेक्ष्य में पृथक से निर्णय लेकर सम्बन्धित भू–स्वामियों को किया जायेगा।

अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण –

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने से पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 10.06.2004 से एक वर्ष पूर्व की अवधि में इस ग्राम में निष्पादित समस्त विक्रय पत्रों का संकलन कार्यालय सब रजिस्ट्रार गोरखपुर से कराया गया, इस अवधि में इस ग्राम कुल 130 विक्रय पत्रों का निष्पादन होना पाया गया, जो अनुसूची–2 पर सूचीबद्ध है।

शासनादेश संख्या–1718/1–13–01–20(124)/01–रा–13–29.09.2001 में शासन द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रतिकर दर निर्धारण समिति की बैठक इस ग्राम में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु दिनांक 15.11.2008 व 16.11.2008 को आहुत की गयी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत इस ग्राम की अनुसूची–2 के क्रमांक–18 पर अंकित विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन कर गोरखपुर से देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाईपास मार्ग पर सड़क से सटे 100 फीट की गहराई तक प्रथम बेल्ट हेतु मु0 19,70,443.35 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा शेष अर्जित भूमि द्वितीय बेल्ट हेतु 15 प्रतिशत की कटौती कर मु0 16,74,874.84 रूपये प्रति हेक्टेयर समिति द्वारा निर्धारित किया गया।

जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया।

करार नियमावली–1997 में निहित व्यवस्था के अनुरूप करार की कार्यवाही सम्पादित कर एक मुश्त प्रतिकर भुगतान हेतु गोरखपुर देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाईपास मार्ग पर सड़क से 100 फीट की गहराई तक मु0 35,00,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर व उसके अतिरिक्त शेष भूमि हेतु मु0 28,00,000.00 प्रति हेक्टेयर का दर समिति द्वारा निर्धारित किया गया। जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया।

इस प्रकार राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोरबार में अधिग्रहित भूमि हेतु समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन व करार निमयावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर भुगतान हेतु निर्धारित प्रतिकर की दर जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया है, से मैं सहमत हूँ।

सम्पत्ति का प्रतिकर

अधिग्रहित की गई भूमि व उस पर तत्समय स्थित परिसम्पत्तियों सहित का कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही दिनांक 03.09.2006, 29.12.2006, 27.01.2007 व 16.04.2007 को 33.758 हे0 भूमि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को किया गया। कब्जे में हस्तगत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या–1053/तेरह–भू–अर्जन/गो0वि0प्रा0/2007–08 दिनांक 08.02.2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि – "कब्जा हस्तांतरण के समय पाये गये निर्माण जिलाधिकारी गोरखपुर से बिना अनुमति प्राप्त किये गये, प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये ही कराये गये है, ऐसे अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण में अवैध निर्माण वाद कायम करके कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि ऐसी परिस्थिति में उक्त निर्माण का मूल्यांकन कराने अथवा प्रतिकर भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।"

अतः कब्जे में हस्तगत परिसम्पत्तियों के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.02.2008 के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का निर्धारण एवं वितरण इस स्तर से नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण स्वतः ही सम्पत्ति की जॉच करके प्रतिकर निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण करेगा।

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण –

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही पूर्ण कराकर निहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण, निर्धारित प्रतिकर की दर प्रथम बेल्ट हेतु मु0 35,00,000.00 रूपये व द्वितीय बेल्ट हेतु मु0 28,00,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से गणना निम्नवत है।

भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे0में)	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर की धनराशि	अन्य विवरण
प्रथम बेल्ट	0.011	35,00,000.00	38,500.00	
द्वितीय बेल्ट	2.3037833	28,00,000.00	64,50,593.00	
योग	2.3147833		64,89,093.00	

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

अनिवार्य अर्जन के लिए समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर प्रथम बेल्ट मु0 19,17,443.35 व द्वितीय बेल्ट हेतु मु0 16,74,874.84 रूपये के आधार पर प्रतिकर की गणना किया गया विवरण निम्नवत है :–

कब्जा हस्तांतरण का दिनांक	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल हे0मी0	दर प्रति हेक्टेयर	मूल प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलेशियम	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	कुल योग
03.09.2006	प्रथम बेल्ट	0.635	19,70,443.35	12,51,231.53	3,75,369.46	3,35,261.49	19,61,862.48
	द्वितीय बेल्ट	16.5082167	16,74,874.84	2,76,49,196.80	82,94,759.04	74,08,469.72	4,33,52,425.56
29.12.2006	प्रथम बेल्ट	–	–	–	–	–	–
	द्वितीय बेल्ट	0.180	16,74,874.84	3,01,477.47	90,443.24	92,376.00	4,84,296.71
27.01.2007	प्रथम बेल्ट	0.500	19,70,443.35	9,85,221.67	2,95,566.50	3,11,276.06	15,92,064.23
	द्वितीय बेल्ट	13.518	16,74,874.84	2,26,40,958.09	67,92,287.43	71,53,302.16	3,65,86,547.68
16.04.2007	प्रथम बेल्ट	0.102	19,70,443.35	2,00,985.22	60,295.56	69,720.43	3,30,001.21
	द्वितीय बेल्ट	–	–	–	–	–	–
	योग	31.4432167	–	5,30,29,070.78	1,59,08,721.23	1,53,69,405.86	8,43,07,197.87

अर्जन हेतु अधिसूचित 38.458 हे0 भूमि में से 4.323 हे0 (1.179 हे0 माननीय उच्चतम न्यायालय व 3.144 हे0 माननीय उच्च न्यायालय) भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश पारित होने के कारण उक्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण नहीं किया गया है। प्रतिकर निर्धारण माननीय न्यायालय के आदेश के समादर पृथक से किया जायेगा। खसरा संख्या– 170 रकबा 0.053 हे0, 169 रकबा 0.016 हे0, 171 रकबा 0.073 हे0, 172मी0 रकबा 0.012 हे0, 156मी0 रकबा 0.049 हे0 व 167 मि0 रकबा 0.008 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.211 हे0 मिल्कियत सरकार होने; गाटा संख्या– 417 में वास्तविक क्षेत्रफल से 0.002 हे0 अधिक प्रकाशन होने, गाटा संख्या– 417 रकबा 0.053 हे0 अर्जन हेतु प्रस्तावित किया गया, परन्तु चकबन्दी से अभिलेख प्राप्त होने पर खसरा संख्या– 418 पाया गया, अतएवं क्षेत्रफल 0.053 हे0 का गलत प्रकाशन होने, खसरा संख्या–315 रकबा 0.026 हे0 गलत सम्मिलित कर प्रकाशन कराने, खसरा संख्या– 411 रकबा 0.085 हे0 अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने के फलस्वरूप कुल क्षेत्रफल 0.377 हे0 भूमि को अभिनिर्णय से पृथक कर प्रतिकर का निर्धारण नहीं किया गया है। जिसमें से मिल्कियत सरकार का क्षेत्रफल 0.211 हे0 का कब्जा दिनांक 03.09.2006 को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तगत किया गया है जिसे खण्डित किया जाता है, शासकीय भूमि होने के कारण अर्जन निकाय पुनर्ग्रहण की कार्यवाही सम्पादित कर भूमि प्राप्त करें तदनुसार कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.2006 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर के अनुसार ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर जिला–गोरखपुर में अधिग्रहित की गयी भूमि में से 2.3147833 हे0 भूमि करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत निर्धारित एक मुश्त दर के अनुसार प्रतिकर की कुल धनराशि 64,89,093.00 रूपये व अनिवार्य अर्जन 31.4432167 हे0 हेतु निर्धारित दर के अनुसार मूल प्रतिकर 5,30,29,070.78 रूपये 30 प्रतिशत सोलेशियम मु0 1,59,08,721.23 रूपये व 12 प्रतिशत वार्षिक देय अतिरिक्त प्रतिकर मु0 1,53,69,405.86, कुल मु0 8,43,07,197.87 रूपये तथा सम्पूर्ण योग 9,07,96,290.87 रूपये अर्थात 9,07,96,291.00 रूपये निर्धारित करता हूँ।

प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु0 9,07,96,291.00 रूपये का 10 प्रतिशत धनराशि मु0 90,79,629.00 रूपये अर्जन निकाय से वसूल कर भूमि अर्जन व्यय की मद में निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार गोरखपुर में जमा किया जायेगा।

अधिग्रहित भूमि हेतु देय लगान 890.15 रूपये का 150 गुना धनराशि मु0 1,33,523.00 रूपये अर्जन निकाय से वसूल कर भू–राजस्व पूँजीकृत्य मूल्य की मद में निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार, गोरखपुर में जमा किया जायेगा।

अतः मैं रामअभिलाष विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन गोरखपुर राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर, जिला–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु अधिग्रहित की गयी 33.758 हे0 भूमि (करार नियमावली व अनिवार्य अर्जन) का प्रतिकर 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त प्रतिकर सहित मु0 9,07,96,291.00 रूपये (मु0 नौ करोड़ सात लाख छियानबे हजार दो सौ इक्यानबे रूपये) का अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व में निर्धारित /वितरित 80 प्रतिशत अनुमानित अग्रिम प्रतिकर की धनराशि को घटाकर 30 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि को जोड़कर कब्जा हस्तांतरण की तिथि से अभिनिर्णय घोषणा की तिथि/प्रतिकर भुगतान की तिथि जो भी पहले हो तक प्रथम वर्ष 09 प्रतिशत व उसके उपरान्त 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय हैं। निर्धारित ब्याज की धनराशि में नियमानुसार आयकर की कटौती करके सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भूमि अर्जन प्रपत्र–11 व अनुसूची–3 में अंकित है। जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर।

दिनांक– 22 जुलाई, 2010
स्थान – कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।

(सत्य प्रति नि:शुल्क प्रमाणित)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं०-स०) गोरखपुर
18/8/2010

(नोट : राजस्व ग्राम - जंगल सिकरी उर्फ खोराबार का कब्जा पुराने ने० से दिया गया है। कब्जा का मिलान खसरे के पृष्ठ सं० 13 से 19 से किया जा सकता है।)

अनुसूची–3

धारा–4(1)/17 का अंतिम प्रकाश दिनांक – 10.06.2004

बाबत गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जिला–गोरखपुर में भूमि का स्थाई अर्जन।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

कब्जा हस्तांतरण का दिनांक	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल है0मे0	दर प्रति हेक्टेयर	मूल प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलेशियम	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	कुल योग	अन्य विवरण
03.09.2006	प्रथम बेल्ट	0.635	19,70,443.35	12,51,231.53	3,75,369.46	3,35,261.49	19,61,862.48	धारा–4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से कब्जा दिनांक 03.09.2006 तक 815 दिन
	द्वितीय बेल्ट	16.5082167	16,74,874.84	2,76,49,196.80	82,94,759.04	74,08,469.72	4,33,52,425.56	
29.12.2006	प्रथम बेल्ट	–	–	–	–	–	–	धारा–4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से कब्जा दिनांक 29.12.2006 तक 932 दिन
	द्वितीय बेल्ट	0.180	16,74,874.84	3,01,477.47	90,443.24	92,376.00	4,84,296.71	
27.01.2007	प्रथम बेल्ट	0.500	19,70,443.35	9,85,221.67	2,95,566.50	3,11,276.06	15,92,064.23	धारा–4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से कब्जा दिनांक 27.01.2007 तक 961 दिन
	द्वितीय बेल्ट	13.518	16,74,874.84	2,26,40,958.09	67,92,287.43	71,53,302.16	3,65,86,547.68	
16.04.2007	प्रथम बेल्ट	0.102	19,70,443.35	2,00,985.22	60,295.56	68,720.43	3,30,001.21	धारा–4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से कब्जा दिनांक 16.04.2007 तक 1040 दिन
	द्वितीय बेल्ट	–	–	–	–	–	–	
	योग	31.4432167	–	5,30,29,070.78	1,59,08,721.23	1,53,69,405.86	8,43,07,197.87	

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण –

	प्रथम बेल्ट	0.011	35,00,000.00	38,500.00			38,500.00	
	द्वितीय बेल्ट	2.3037833	28,00,000.00	64,50,593.00			64,50,593.00	
	योग	2.3147833		64,89,093.00			64,89,093.00	
	कुल योग	33.758		5,95,18,163.78	1,59,08,721.23	1,53,69,405.86	9,07,96,290.87	
	स्थगन आदेश	4.323	–	–	–	–	–	प्रतिकर की गणना नहीं किया गया है।
	अन्य कारण	0.377	–	–	–	–	–	प्रतिकर की गणना नहीं किया गया है।
	सम्पूर्ण योग	38.458	–	5,95,18,163.78	1,59,08,721.23	1,53,69,405.86	9,07,96,290.87 या 9,07,96,291.00	

(मु0 नौ करोड़ सात लाख छियानबे हजार दो सौ इक्यानबे मात्र)

हस्ताक्षर अमीन (मू0अ0)

अहलमद

(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0), गोरखपुर।

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगलतालिमी उर्फ मनोरानार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि०प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-क की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-क की की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी कानूनगो

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. एन. पाण्डेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - राजस्व कानूनगो
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

[illegible]	[illegible]	[illegible]	विवरण
1612	268/2	.261	[illegible] 40'x11.0" टीनशेड 31'x15'-6" टीनशेड 12'x12' टीनशेड 10'x5' टीनशेड 20'x10' टीनशेड 30'x10' आम – 1 जामुन – 2 ।
1248	283 [illegible]	.031	टीनशेड : 20'x10' टीनशेड : 19'x12' 5 फुट ऊंची बाउंड्री-वाल ।
1740	283/2 [illegible]	.019	
	296 [illegible]	.007	
		.047	
	281 [illegible]	.010	
	282 [illegible]	.066	
	283/2 [illegible]	.090	
		.166	
		.213	
432	282 [illegible]	.302	टीनशेड 25'x10'
	294/2	.016	
		.318	
1235	281 [illegible]	.071	बाउंड्री फुट ऊंची लोन नाले में
	282 [illegible]	.246	
		.317	
186	280/1 [illegible]	.341	एक नाले में 3 फुट ऊंचा बाउंड्री
1562	279	.062	टीनशेड 10'x10' टीनशेड 27'x10' एक नाले में बाउंड्री
	280/1	.010	
	280/2 [illegible]	.474	
		546	
6893	280/1 [illegible]	.116	टीनशेड 12x10 [illegible] नाले में बाउंड्री
479	279 [illegible]	.060	—
312	276 [illegible]	.030	—
	279 [illegible]	.102	
		.132	
5839 [illegible]	294/2	.669	टीनशेड आकार 25x22'6" व 6 फुट ऊंची बाउंड्रीवाल
	295/2 [illegible]	.016	टिनशेड 13x29' टिनशेड 19.6x16.6' व
		.683	बाउंड्रीवाल

प्रति हस्ताक्षरित

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल तिवारी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो०वि०प्रा० द्वारा आवासीय भूखण्ड निर्माण
5. धारा 4(1)/17/~~अन्य~~ की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/~~अन्य~~ की की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी आदि

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे० में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. एन. पाण्डेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - मृत
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
कृते
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

727	317/0	-005	1 ટીનશેડ 18'x12'
	"	-020	~~[illegible]~~ પતિત્રે 14'x15'
			ટીનશેડ 20'5"x15 સેમેન્ટ વાસ્તવાલાન
			વાડ્રી વાળા
392	380/1	-010	નિવાસ 16'5"x11'
	409/0	-193	વાડ્રી વાળા
		203	
101	351	.146	શીટ્સ-12 કાચલી=5 સાગોન-2 [illegible]
			રહેવાસ [illegible] = 10'x10'
119	352/0	-203	—
600	352	.138	- વાડ્રીવાળા મકાન 79'x44' પતિત્રે
			કાચી 31'x20'5" નિવાસ [illegible]
			- 39'x28 નિવાસ ઢાળ મકાન
			: ટીનશેડ 28'x12' ટીનશેડ 12'x12'
			સેમેન્ટ વાસ્તવાલાન રોન = 7'x10' વાડ્રીવાળા
			- રસોઈ [illegible] 38'x31' વાડ્રીવાળા
			- ટીનશેડ 16'x12'
631	352/0	403	મકાન 35'x20' [illegible] = 5 [illegible]
			વાડ્રીવાળા [illegible] નિવાસ
			50'x13'
407	348/1	-014	- ટીનશેડ 16½'x10' વાડ્રીવાળા 5 [illegible]
		-020	
		.038	- વાડ્રીવાળા [illegible] 5 [illegible] ટીનશેડ
		-080	40'x9½'
447	345/1	-506	વાડ્રીવાળા [illegible]
809	341/0	1.544	સાગોન [illegible]
			317 1
446	334/2	.077	સાગોન [illegible]
			26 3
			ટીનશેડ = 32'x16'
			ટીનશેડ = 22½'x13½'
			ટીનશેડ 32'x35'
			વાડ્રીવાળા [illegible]
249	334/2	-012	
299	335/1	-088	ટીનશેડમાં વાડા 34'x20' [illegible] ટીનશેડ
570	335/1	059	ટીનશેડ

પ્રતિ સત્યાપિત

7/11/07

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - गगहा शिवपुरी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखनाथ द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3~~ए~~की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3~~बी~~ की विज्ञप्तिकी तिथि - 2-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, आमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. नि. पाण्डेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - आमीन
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित

299	335/1	-019	হিনরোড = 30'x36' লিন-রে = 25'x12' আর
			আবরণ নীল অর্কিড কবরের
808	354	262	—
	355	-806	
		268	
683	354	-266	লিন-রে 25½'x10' হিনরোড 27'x11'
329	356	-102	লিন-রে = 16.5"x 11.5" সাগৌণ = 9
	358	-020	অর্ম 36 অর্কিড = 6 বই = 2 অবস্থা
		-122	বেশি = 2 কবরের 2 বাউন্ডারি
585	357	-101	87'x 90 লিন-রে
	359	-150	46'x 35' বাগানে পরিণত
		-251	আম কাননী = 180
586	359	-161	সাগৌণ 900
	360	-032	পরিণী = 5
	361	-017	অর্কিড = 4
	362	-016	ইউফর্ব - 1
	366	-014	বোগিন 1
		240	বাউন্ডারি
121	356	-017	
	357	-077	
	358	-085	
	359	-020	
		-199	
44	379	-010	বাউন্ডারি = 6 ফুট উচ্চ হিনরোড = 56x11
	380	-435	হিনরোড : 21x11 লিন-রে 15'x10'
		-445	12'x10' লিন-রে 16'x10'
526	378	-158	সাগৌণ 33 হিনরোড = 11x21 অর্ধবাউন্ড
	379		
	428	-164	লিন-রে 14'x23' অর্ধবাউন্ড
787	377	-200	লিন-রে অবাগ 56x13'
	378		
553	376/1	071	12+10 হিন রোড
	377	-199	
	411	078	
	406/1	-108	সাগৌণ = 8
		-506	

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

519

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ बोरावार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो०वि०प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/2 की विज्ञप्ति की तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3 की विज्ञप्ति की तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. एम. पांडेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - भू० का०, कानि०
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण

413	405/1	.025	[illegible] 111'x [illegible] [illegible]
599	405/1	.182	[illegible] 53'x 12'
7	383/1ম 383/2ম	.013	[illegible] 12'x [illegible] [illegible] 8x8 [illegible]
739	383/2	.020	[illegible] 40'x35' [illegible]
99	382ম.	.099	[illegible] [illegible] [illegible] 30'x16'
995	382ম.	.099	[illegible] 40'x40' [illegible] 12x40 [illegible]
238ম	312/1	.703	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30'x12 [illegible] [illegible] 26'x22'
690	312ম. 313/3ম. 314ম.	.057 .148 .042 .247	—
476	314ম. 313/2	.033 .167 .200	—
108	314ম. 318ম. 313/3ম.	.032 .002 .207 .241	[illegible] 27'x44' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
109	313/1	.150	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
110	314ম. 313/3ম 321ম.	.032 .196 .010 .238	—
136	314ম 313ম.	.033 .213 .246	—
679	409/1	.203	[illegible] [illegible] 20½'x12½' [illegible] 14½ x 16½'

[illegible]

27/11/07 [illegible]

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3 एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3 डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. सि. पाण्डेय
पद नाम - सदर तहसीलदार
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - राजस्व, अमीन
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार
गोरखपुर

874	315	-774	- 38'×34' तथा 38.5'×12' विस्तार
	316/1		- बाउंड्रीवाल चारों तरफ 12' चौड़ा विस्तार होगा 19.5'×12'
			- बाउंड्री चारों तरफ होगा 22.5'×12' ईंटखड़ा
			- 14.5'×14 विस्तार 27 कमरा होगा= 21.5'×12.5'
			लौ.शौचालय 7×6.5' ईंटखड़ा
			- बाउंड्री वालि चारों तरफ विस्तार= 2'×12' होगा
			ईंटखड़ा = 1
			- बाउंड्रीवाल चारों तरफ है
			- बाउंड्रीवाल विस्तार = 13'×12
			बाउंड्रीवाल गेट विस्तार कमरा 13'×12'
			- 12'×12' के रकबा 8.1364 विभाजित 3 गुणा 1
			0.5761 / 2 अवशेष / 3
517	316	-044	—
647	340/1	.235	बाउंड्री मय गेट होगा=40'×11.5' चौड़ा [illegible]
		.036	कमरा ईंटखड़ा= 1 लोगा 1
156	333/1	-312	—
9961	383/1	.051	अकाश 59'×36.5' मकान 40×30' होगा [illegible]

विभाजन 16.10.08 के अनुसार	0.180
विभाजन 5.9.08 के अनुसार	19.660
आधिक प्रकाशन =	-003 "
जमा प्रतिवर्तन धारा 8 =	-053 "
जारकर=119 प्रतिशत 315 =	-036 "
5% प्रतिवर्तन धारा 63 =	.085 "
कमरा ईंटखड़ा शुल्क	14.656 "
[illegible]	3.787 "
जोड़ा	= 38.458 है०

पति [illegible]

27/1/07

[illegible]
27/1/07

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिवाई पूर्व खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो०वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/अ०एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/अ०डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, नायब तहसीलदार

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे० एन० पाण्डेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - नायब तहसीलदार
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

5830	294/2मी 294/2मी. 295मी.	-410 -257 -002 -669	टीनशेड 12'x10' बरामद - 1 [illegible] - 1
424	296/2	.288	टीनशेड मौके पर 16'x21' टीनशेड-[illegible] [illegible] 30x19' नाप 4 [illegible] बाउंड्री [illegible] 208' परिक्रमा 143' कुल 160 [illegible] = 102' [illegible] - 27
583	294/1	.057	—
643-	318मी.	.080	21x10 बाउंड्री 21'-[illegible]"x23'-[illegible]" [illegible] [illegible] का बाउंड्री [illegible] 3452 23x15'-10" [illegible] [illegible] लोहे से [illegible] 21'x40' टीनशेड 9'x12' [illegible] [illegible] - 1 [illegible] - 1 [illegible] - 1
642	318मी. "	.024 .028	चारों तरफ बाउंड्रीवाल टीनशेड 11'x11' 1 टीनशेड 21'-6"x 17'-5" [illegible]
120	317मी. 318मी.	-026	टीनशेड 12'x10' [illegible] x8 [illegible]
695	317मी. 318मी.	.032 .008 -040	बाउंड्रीवाल 109x40' [illegible] [illegible] 15'-3" x 13'-5" [illegible]

1.212

27.1.07

(जे. एन. पाण्डेय)

[illegible] 27/1/07

विशेष भूमि अभ्याप्ति अधिकारी
सं० सं० प्रथम, गोरखपुर

प्रति सत्यापित

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ रसेराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो०वि०प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो०वि०प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/2-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 09-01-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 07-01-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - ओ० पी० नारायण
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 29-12-06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - भूमि अध्याप्ति अमीन
दिनांक - 29-12-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

फ.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
351	350	0-180 हेक्टे०

29.12.06 J.E.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

जिला मूलि अभिलेख अधिकारी
गो० मं० प्रथम, गोरखपुर

532

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - [illegible]
2. परगना, तहसील एवं जिला - [illegible] सदर गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण
4. योजना का नाम - [illegible] विकास योजना अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-2-04 गोरखपुर डीए आवासीय कालोनी [illegible]
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 07-01-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-02-2008
8. कब्जा देने वाले का नाम - [illegible]

27/2/08

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
मं० मं० गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे० में
	विवरण पीछे अंकित है।		

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे० एन० पाण्डेय
पद नाम - कलक्टर एवं मु० वि० अ०, गोरखपुर
दिनांक -

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमिल
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 27/2/08

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
मं० मं० गोरखपुर

अधिकार पत्र

ग्राम: जाफरा किट | अर्ब: गोरखपुर | तहसील: गोरखपुर | जिला: गोरखपुर

गाटा सं०	भाग सं०	हेक्टेयर	स्थित सम्पत्ति का विवरण
536	441/1	-214 है०	दो अदद मकान पक्का
	441/2	-007 "	दो अदद मन्दिर
		-221 "	630 पेड़ सागौन
537	441/1	-214 "	96 पेड़ आम
	441/2	-007 "	3 पेड़ आवला
		-221 "	2 पेड़ कटहल
			1 पेड़ बेल
			1 बौरिंग
538	441/1	-214 "	
	441/2	-007 "	
		-221 "	
847	441/1	-214 "	
	441/2	-009 "	
		-223 "	
	कुल क्षेत्र:	0-886 हेक्टेयर	

27/7/08

विशेष भूमि अभ्राप्ति अधिकारी
सं०सं०, गोरखपुर

27/7/08
(ने० सिंह यादव)
उप (अभि०)

प्रति हस्ताक्षरित

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जाफरा निकट औद्योगिक क्षेत्र बोरवा
2. परगना, तहसील एवं जिला - खेली सदर गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17 की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17 की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 16-4-07
8. कब्जा देने वाले का नाम - विजय कुमार पाण्डेय

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

16/4/07
कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे० एन० पाण्डेय
पद नाम - अवर अभियन्ता
दिनांक - 16/4/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - विजय कुमार पाण्डेय
पद नाम - क्र० अ० अ०
दिनांक - 16.4.07

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

अति० हस्ताक्षरित
(जी० पी० त्रिपाठी)
16/4/07

अधिकार पत्र

ग्राम: जगाना तिवारी अर्फ छोटेलाल तथा वयस्क हकेदार तसदीक लिखा जाय

चक सं०	गाटा सं०	रकबा	लगान का विवरण
73	337/1 आ०	0.102	बाजू बाग जमा ग्राम उत्तर = 130' पश्चिम: 130' पूरब = 130 एक कमरा पिलर 17x1 लागत = 11045

16/4/07

(ते. एन. पाण्डेय)
अवर अभि०

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता
16/4

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ रोशनखार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी के लिये।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, भू०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 03/9/06

[illegible] 3/9/06

[illegible]

[illegible] गोरखपुर
3/9/2006

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - भूमि अध्याप्ति अमीन
दिनांक - 03-9-2006

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

अधिकार पत्र

ग्राम जगदत्त सिकरी 346 बोरावा ता. व जि. हवेली तं. [illegible]

क्र.सं.	गाटा सं.	रकबा	सम्पत्ति का विवरण
4	268/1	0.261	बाउन्ड्रीवाल गेट लोन फार्म लागोत - 12 मी
138	288 मी०	0.003	—
	203/2 मी०	0.034	—
	294/2 मी०	0.015	—
479	334/2	0.073	17'x26 लिन्टल, 14'x13 गेराज, 15x12 [illegible]
	335/2	0.009	
478	279 मी०	0.060	
	334 मी०	0.082	26'x12 लिन्टल
650	276 मी०	0.091	—
720	276 मी०	0.264	—
	279 मी०	0.095	—
769	262/1	0.004	—
	276 मी०	0.178	—
760	262 मी०	0.018	—
	275/2	0.005	—
667	262/1 मी०	0.012	—
714 अ	328/1 अ	0.242	—
714 ब	328/1 मी०	0.238	—
666	318/2	0.024	कमरा-13 बरामदा-4 बाथ-4 [illegible] 2 [illegible] 2 [illegible]
	319/2	0.069	
643	318 मी०	0.220	—
642	318 मी०	0.242	36'x13' के 13'x13' के लिन्टल शेष लिन्टल 36'x13' [illegible] लिन्टल 52 फीट
120	317 मी० 318 मी०	0.273	—
695	317 मी०	0.033	—
	318 मी०	0.008	—
		2.558	

[illegible]

[illegible]

जिला अधिकारी गोरखपुर

अपर जिलाधिकारी
भूमि व्यवस्था गोरखपुर

(2)

(33)

519

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी, अलीखोसावार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, अमी०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - ने ए० पाण्डेय
पद नाम - सहा० अभि०
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - अमी०
दिनांक - 03-9-06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
3/9/2006
विशेष भूमि अधिकारी गोरखपुर

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
727	317 आ०	.057	—
617 I	315 आ०	.008	[illegible]
	308 आ०	365	
617 II	409	.069	—
	410	.503	
732 I	409/1 आ०	.381	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
757 II	311 आ०	.100	—
	308 आ०	.014	
392 I	308 आ०	.014	—
	311 आ०	.99	
	314 आ०	.008	
	315 आ०	.004	
98	321/1	.595	—
238	312/1 आ०	.088	—
238 II	312/1 आ०	.077	—
407	348 आ०	.108	—
69	349 आ०	389	—
171	342/1	.325	[illegible]
146	334/2	.076	[illegible]
	333 आ०	.010	
[illegible] 249	334/2	.019	—
532	334/2	.011	—
782	334/2	.009	—
529	336/1	.016	[illegible]
526 I	378 आ०	.152	—
	379 आ०		
526 II	426 आ०	.049	—
	427 आ०	.016	
787	377 आ०	.588	
	378 आ०		
		4.159	

[illegible]

[illegible]

अपर जिलाधिकारी

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, आमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 3/9/06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

34	408/1 आ०	-237	सागौन = 1088 शीशम = 27 अमरूद = 1
471	408/1 आ.	-249	टीनशेड = 12'x18' लिन्टर बनाया गया = 12'x15'
35	408/2	-092	
413	405/1 आ०	-306	20x52' फीटा पी वी सी, 30x18' टीनशेड तक दिया।
	406/3	-001	आम 26 शीशम - 1 कुआ पक्का - 1 अमरूद = 4
			जामुन = 2 कटहल = 1 केला = 1 सागौन = 39
			बेल = 2
405	406/2	-102	पपीता = 7 कटहल - 1 नीम - 1 अमरूद - 1 आम = 6
	406/3	-019	कटहल = 3 शीशम = 3 सागौन = 1 बेल = 2
			बास कोट = 2
62	411 आ०	1-920	टीन शेड समवायोजित = 52'x19' बोरिंग चैक
	412 आ०	-020	सागौन = 350 जामुन = 45 आँवला = 5
	414 आ०	-030	नारियल = 3
	438 आ०	-016	
	439 आ०	-010	
140	439	-237	—
166	412 आ	-398	—
	414 आ०	-094	
97	413/2	-297 x	—
	414 आ०	-002	
167	417 आ०	-338	—
	416/2	-024	
	418/3	-006	
301	416/2	-057	—
415	416/2	-056	—
616	416/2	-033	—
	418 आ०	-027	
85	418 आ०	-056	—
300	418 आ०	-056	—
606	418 आ	-115	—
	436 आ०	-025	
607	418 आ.	-115	—
	436 आ०	-025	
608	418 आ०	-056	—
610	417 आ.	-017	—
	436 आ	-037	
168	418	-035	—
	435	-603	
	436 आ०	-009	
		5-740	

सचिव
विकास प्राधिकरण गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल तिवारी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सूचित, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, भू०।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - 03/9/06
पद नाम - नि० सह० अभि०
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - भू०, आवास
दिनांक - 3/9/06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

विशेष भूमि अधिकारी गोरखपुर

49	434 आ	-032	—
	435 आ	-009	
208	434 आ	-037	मिट्टी : 27'x30'
	435 आ०	-003	
708	424 आ०	-519	—
	434 आ०	-126	
	435 आ०	-062	
762	434 आ	-040	—
442	423 आ	-454	—
	421 आ	-057	
14	422 आ	-221	—
397	422 आ०	-221	—
563	424 आ०	-006	अहाता — 1 आम — 1
	425 आ०	-417	
164	427 आ०	-020	67'x25' मिट्टी के लिए खोदा गया गड्ढा
	428 आ०	-019	
568 अ	411 आ०	-022	टीनशेड = 12'x10'
	376/6	-131	टीनशेड : 12'x10'
568 ब	411 आ०	-020	
	376/6	-133	
568 स	376/3	-005	
	376/6	-148	
568 द	411 आ०	-008	
	412 आ	-010	
	376/6	-135	
568 य	376/6	-145	
	412 आ०	-008	
568 र	376/6	-148	
	412 आ०	-006	
7	383/1 आ	-015	—
	383/2 आ		
396	383/2 आ	-028	टीनशेड 10'x12', बाउंड्री
346	388/1	-052	मकान = 30, बाउंड्रीवाल
		3.257	

हस्ताक्षर

गोरखपुर

अपर जिलाधिकारी

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी उर्फ खोराबार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गो० वि० प्रा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3 एक की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3 डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, आमी।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में
		विवरण पीछे अंकित है।	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 3/9/06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
24/2
3/9/2006
विशेष अधिकारी गोरखपुर

266	383/2	-028	—
6	383/3 383/4	-012 -026	—
997	382 आ०	-059	— 341
997	382 आ०	-020	—
997	382 आ०	-020	—
63	281 आ०	-616	—
247	321 आ० 313/3 आ०	-011 -049	—
582 आ	411 आ०	-085	—
679	311 आ० 308 आ०	-085 -014	—
371	438 आ०	-182	—
341	295 आ०	-393	निर्माणाधीन मकान निर्माण 15'×21' मकान निर्माण 35'×66' मकान निर्माण 35'×66' बाउंड्रीवाल टीनशेड 53'×12', बाउंड्रीवाल 34 मीटर मकान निर्माण 36'×66' मकान निर्माण 34'×50', 34'×15' बाउंड्री वाल मीटर टीनशेड 12'×10'
335	318/1 320 आ० 321 आ०	-004 -177 -004	खातौनी = 320 आम = 3 किस्म = 1
		2.183	

अधिशासी अधिकारी गोरखपुर

अपर जिलाधिकारी
पूर्वी मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - [illegible]
2. परगना, तहसील एवं जिला - [illegible]
3. अर्जन निकाय का नाम - [illegible]
4. योजना का नाम - गो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमा शंकर तिवारी, अभि०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल है0 में

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - [illegible]
पद नाम - [illegible]
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - [illegible], अभि०
दिनांक - 3/9/06

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
3/9/06
सचिव
जिला अधिकरण गोरखपुर

			लाओन-100 कालमी आम 7 जामुन [=4 नीम=5
843	438 आ०	-182	शरीफा=2 बेल=2 गांगरन=2 आं० 16=6
609	436 आ	.003	—
683	417 आ०	-030	—
	436 आ०	-160	
218	441 आ०	-008	शीशम=14'x12' 15 [-1 लाओन-7 आम 1.5
	442 आ०	-254	गंगरन=4 नीम=1 महुआ=1 आम=1
82	388/1	-065	लाओन=45 आड़ी आम-आं० 25
351	350	294	शीशम=3 आड़ी 345'x35'
			लाओन 126
645	340/1	-114	शीशम=17'x9.5' जिन्हें=29'x36'
647	333	-004	—
	340/1	-010	
995	382 आ०	-024	—
974	315 आ०	.130	आड़ी आम
517	307 आ		
	308 आ०	-046	—
	316 आ		
156	332/1	-246	आम=1 जामुन=1 नीम=1
			जामुन जिन्हें=20'x20' शीशम=15'x
CH-12/12	170	-053	—
	168	-016	
CH-11/46	171	-073	—
	172 आ०	-012	
CH-11/45	156 आ	-049	—
CH-11/36	167 आ	-008	—
		1.781	

योग =	1 -	2.358 है०	कुल कृषि योग्य भूमि = 19.669 है०
	2 -	4.150 "	अधिक पुराना = -002 "
	3 -	5.740 "	भाग परिवर्तन = -053 "
	4 -	3.257 "	बंजर/अकृषित = -026 "
	5 -	2.183 "	ग्राम अकृषित = -085 "
	6 -	1.781 "	कुल कृषि योग्य भूमि = 18.623 "
		19.669 है०	योग 30.450 है०

प्रति सहायक अभिलेखागार

अपर जिलाधिकारी
वृहद सिंचाई, गोरखपुर